राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम 23)

(राष्ट्रपति की अनुमति 26 अगस्त, 1961 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में न्यायालय फीस तथा वादों के मूल्यांकन से संबंधि विधि को संशोधित एवं समेकित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ :- इस अधिनियम का नाम राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में हैं।

(3) वह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

2. **अधिनियम का लागू होना** :- (1) इस अधिनियम के उपबंध केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवारत किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई या प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों पर लागू नही होंगे।

(2) यहां किसी अन्य विधि में ऐसी अन्य विधि के अधीन की कार्यवाहियों के संबंध में फीस के उद्ग्रहण से संबंधित उपबंध अन्तर्विष्ट हो, वहां ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में फीस के उद्ग्रहण के बारे में इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अन्य विधि के उक्त उपबंधों के अध्यधीन लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं** :- जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में.-

(i) "अपील" में प्रत्याक्षेप सम्मिलित है;

(ii) "न्यायालय" से कोई भी सिविल, राजस्व या दण्ड न्यायलय अभिप्रेत है और उसमें पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को विनिश्चित करने हेतु किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन अधिकारिता रखने वाले कोई अधिकरण या अन्य प्राधिकारी भी सम्मिलित है;

(iii) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनायें गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(iv) इस अधिनियम में प्रयुक्त और इस अधिनियम या राजस्थान साधारण खंड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) में परिभाषित नही की गयी किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5)

में परिभाषित की गयी अभिव्यक्तियों के क्रमश: वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें उक्त संहिता में दिये गयें है।

अध्याय-2

फीस का संदाय करने का दायित्व

4. <u>न्यायालयों और लोक कार्यालयों में फीस का उद्ग्रहण:</u>- कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन फीस प्रभार्य है, उस समय तक जब तक ऐसी दस्तावेज के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य के रूप में उपदर्शित की गई फीस से अन्यून फीस संदत न कर दी जाये-

(i) उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में फाईल, प्रदर्शित या अभिलिखित नहीं की जायेगी और न उस न्यायालय द्वारा उस पर कोई कार्यवाही की जायेगी, न वह किसी को दी जायेगी, या

(ii) किसी लोक कार्यालय में फाईल, प्रदर्शित या अभिलिखित नहीं की जायेगी और न किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही की जायेगी, न वह किसी को दी जायेगी:

परन्तु जब कभी दण्ड न्यायालय की राय में न्याय के न हो पाने को रोकने के लिए किसी दस्तावेज को, जिसके संबंध में समुचित फीस संदत्त नहीं की गई है, न्यायालय में फाइल या प्रदर्शित करना आवश्यक हो तो इस धारा की कोई बात इस प्रकार फाइल या प्रदर्शित करने का प्रतिषेध करने वाली नही समझाी जायेगी।

5. **अनवधानता से ली गई दस्तावेजों पर फीस** :- जब कोई दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के द्वारा विहित संपूर्ण फीस या उसके किसी भाग का संदाय नही किया गया है किसी न्यायालय या लोक कार्यालय में प्रस्तुत की गई हो या गलती से या अनवधानता से ले ली गई हो तो, न्यायालय या कार्यालय का प्रधान स्वविवेकानूसार किसी भी समय उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा ऐसी फीस संदये है, यथरास्थिति, फीस या उसके किसी भाग का ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाये, संदाय करने के लिए, अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसा संदाय करने पर दस्तावेज उतना ही बल और प्रभाव रखेगी, मानों प्रथमत: ही पूरी फीस संदत कर दी गई हो।

6. **बाहुल्यपूर्ण वाद:**-(1) किसी वाद में, जिसमें एक ही वाद हेतुक के आधार पर पृथक और सुभिन्न अनुतोष मांगे जायें, वाद-पत्र पर अनुतोषों के संकलित मूल्य पर फीस प्रभार्य होगी:

परन्तु कोई अनुतोंष यदि मुख्य अनुतोष के अनुषंगिक रूप में मांगा जाये तो वाद-पत्र केवल मुख्य अनुतोष के मूल्य पर प्रभार्य होगा।

(2) जहां किसी वाद में एक ही वाद हेतुक के आधार पर एकाधिक अनुतोष अनुकल्पत: मांगे जायें वहां वाद-पत्र पर अनुतोषों पर उद्ग्रहणीय फीसों में से अधिकतम फीस प्रभार्य होगी।

(3) जंहा किसी वाद में दो या अधिक सुभिन्न और अलग अलग वाद हेतुक समाविष्ट हों और उनके आधार पर पृथक-पृथक अनुतोष अनुकल्पत: या संचयी रूप से मांगे जाये वहां वाद-पत्र पर फीस की उतनी ही रकम संकलित रूप से प्रभार्य होगी जितनी विभिन्न बाद हेतुकों के संबंध में पृथक-पृथक वाद संस्थित किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य होती:

परन्तु जहां एक ही व्यक्ति के विरूद्ध अनुकल्पत: दावाकृत अनुतोषों, से संबंधित वाद हेतुक एक ही संव्यवहार से उत्पन्न हो वहां वाद-पत्र उन पर प्रभार्य अधिकतम फीस से ही प्रभार्य होगा।

(4) उप-धारा (3) की काई बात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के आदेश 2 के नियम 6 के अधीन किसी न्यायालय को प्रदत्त किसी शक्ति को प्रभावित करने वाली नही समझी जायेगी।

(5) इस धारा के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित अपीलों के ज्ञापनों, आवेदनों याचिकाओं और सिविल कथनों पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ स्थावर सम्म्पति पर कब्जे और अन्त:कालीन लाभों के लिए वाद एक ही वाद-हेतुक पर आधारित समझा जायेगा।

7. बाजार मूल्य का अवधारण :- (1) यदि इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर निर्भर हो तो अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसा मूल्य वाद-पत्र के प्रस्तुत किये जाने की तारीख पर विद्यमान मूल्य के अनुसार अवधारित किया जायेगा ।

(2) धारा 24 के खण्ड (क) और (ख) या धारा 26 के खण्ड (क) या धारा 28 या धारा 29 के अधीन अथवा धारा 35 की उप-धारा (1) या उपधारा (3) के अधीन या धारा 36 या धारा 44 के अधीन आने वाले वादों से संबंधित भूमि का बाजार मूल्य निम्नांनुसार समझा जावेगा-

(क) जहां ऐसी भूमि के संबंध में लगान तय हो गया है वहां ठीक पूर्ववर्ती बन्दोबस्त के दौरान उसके लिए मंजूर की गयी लगान की दर का पच्चीस गुना, और

(ख) जहां ऐसी भूमि के संबंध में लगान तय नहीं हुआ है यहां ठीक पूर्ववर्ती बन्दोवस्त के दौरान पड़ौस की ऐसी ही भूमि के लिए मंजूर की गयी लगान दर का पच्चीस गुना ।

8. **मुजराई या प्रतिदावा:-** किसी मुजराई या प्रतिदावे का अमिवचन करने वाले लिखित कथन पर फीस उसी रीति से प्रभार्य होगी जैसे बाद-पत्र पर होती है।

9. **दो या अधिक वर्णनों के अन्तर्गत आने बाली दस्तावेजेः-** इस अधिनियम में दो या अधिक वर्णनों के अन्तर्गत आने वाली कोई दस्तावेज, जहां उसके अधीन प्रभार्य फीसें भिन्न-भिन्न हो, उन फीसों में से केवल अधिकतम फीस से ही प्रभार्य होगी:

परन्तु जहां उक्त वर्णनों में से एक विशेष हो और दूसरा सामान्य तो वही फीस प्रभार्य होगी जो विशेष वर्णन के लिए समुचित हो।

अध्याय-3

फीस का अवधारण

10. वाद की विषय-वस्तु की विशिष्टियों का विवरण और वादों द्वारा उसका मूल्यांकन:- प्रत्येक बाद में जिसमें वाद पत्र पर इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस वाद को विषय वस्तु के बाजार मूल्य पर निर्भर है, वादी वाद-पत्र के साथ विहित प्ररूप में वाद की विषय-वस्तु की विशिष्टियों का विवरण और उनका अपने द्वारा किया गया मूल्यांकन भी फाइल करेगा, सिवाय उस दशा के जवकि वाद-पत्र में ऐसी विशिष्ठियां और मूल्यांकन अन्तर्विष्ट हों।

11. समुचित योग के विषय में विनिश्चय :- किसी भी न्यायालय में संस्थित प्रत्येक वाद में न्यायालय, वाद-पत्र को रजिस्टर करने का आदेश देने से पूर्व, वाद-पत्र में अन्तर्विष्ट सामाग्री और अभिकथनों के आधार पर तथा धारा 10 के अधीन फाइल किये गये विरण, यदि कोई हों, में अन्तर्विष्ट सामग्री के आधार पर, उस पर संदये समुचित फीस का विनिश्चय करेगा, तथापि विनिश्यय उत्तरवर्ती उप-धाराओं में विनिर्दिष्ट रीति से पुनर्विलोकन पुन: पुनर्विलोकन और भूल सुधार के अध्यधीन होगा।

(2) कोई भी प्रतिवादी यह अधिवचन कर सकेगा कि वाद की विष्य-वस्तु का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है या संदस फीस पर्याप्त नहीं है। ऐसे अभिवाकों से उत्पन्न समस्त प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 18 में अनुध्यात रीति से वाद की सुनवाई से पूर्व सुने और विनिशिचत किये जायेंगे। यदि न्यायालय, यह विनिश्चित करें कि वाद की विषय-वस्तु का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है या कि संदत्त फीस पर्याप्त नहीं है तो न्यायालय ऐसी तारीख नियत करेगा जिससे पूर्व न्यायालय के विनिश्चनुसार वाद-पत्र संशेधित किया जायेगा और कम रही फीस संदत्त की जायेगी। यदि अनुज्ञात समय के भीतर वाद-पत्र को इस प्रकार संधोशित न कर दिया जाये या कम रही फीस संदत्त न कर दी जाये तो वाद-पत्र खारिज कर दिया जायेगा और न्यायालय वाद के खर्चे के संबंध में ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह न्यायसंगत समझे ।

(3) दावे के गुणागुण के आधार पर विवादयक विरचित किये जाने के पश्चात् शामिल किया गया कोई प्रतिवादी अपने द्वारा फाइल किये गये लिखित कथन में अभिवाक् कर सकेगा कि वाद की विषय-वस्तु का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है या संदत्त फीस पर्याप्त नहीं है। ऐसे अभिवाकों से प्रोदभूत समस्त प्रश्न ऐसे प्रतिवादी को प्रभावित करने वाले साक्ष्य को अभिलिखित किये जाने से पूर्व सुने जायेंगे ओर दावे के गुणागुण के आधार पर विनिश्चित किये जायेंगे और यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकाले कि वाद की विषय-वस्तु समुचित रूप से मुल्यांकित नहीं की गई है या संदत फीस पर्याप्त नहीं है तो न्यायालय उप-धारा (2) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा की कोई भी बात किसी ऐसे प्रतिवादी के उत्तराधिकारी या हित प्रतिनिधि के रूप में शामिल किये गये प्रतिवादी पर लागू नहीं होगी जिसका नाम दावे के गुणागुण के आधार पर विवादयकों की विरचना से पूर्व रिकार्ड में दर्ज था और जिसे यह

अभिवचन करते हुए कि वाद की विषय-वस्तु का मूल्यांकन समुचित रूप से नहीं किया गया या संदत्त फीस पर्याप्त नहीं थी, लिखित कथन फाइल करने का अवसर प्राप्त था।

(4) (क) जहां कहीं अपील न्यायालय के समक्ष कोई मामला प्रस्तुत हो वहां उक्त न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह स्व-प्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के द्वारा आवेदन किये जाने पर, वाद पत्र पर या लिखित कथन पर या निचले न्यायालय में किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में संदेय फीस को प्रभावित करने वाले आदेशों के, जो निचले न्यायालय द्वारा पारित किये गये हों, सही होने पर विचार करे और उस पर संदेय समुचित फीस अवधारित करें।

स्पष्टीकरण :- यदि अपील वाद की विषय-वस्तु के केवल किसी भाग से ही संबंधित हो तो भी मामले अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा।

(ख) यदि अपील न्यायालय यह विनिश्चित करे कि निचले न्यायालय में संदत्त फीस पर्याप्त नही है, तो न्यायालय दायी पक्षकार से, फीस में की कमी का संदाय ऐसे समय के भीतर जिसे वह नियत करें करने की अपेक्षा करेगा ।

(ग) यदि कम रही फीस नियत समय में संदत्त न कर दी जाये और चूक किसी ऐसे अनुतोष के संबंध में हो जिसे निचले न्यायालय ने खारिज कर दिया है और जिसकी अपीलार्थी अपील में मांग करता है तो अपील खारिज कर दी जायेगी परन्तु यदि चूक किसी ऐसे अनुतोष के संबंध में है जिसके लिए निचले न्यायालय ने डिक्री दे दी है तो, कम रह गई फीस इस प्रकार वसूलीय होगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

(घ) यदि निचली अदालत में अधिक फीस संदत्त हुई है तो न्यायालय उस पक्षकार की, जो उसका हकदार है, उस अधिक फीस का प्रतिदाय किये जाने का निदेश देगा।

(5) न्यायालयों की अधिकारिता अवधारित करने के प्रयोजनार्थ मूल्य संबंधी समस्त प्रश्न जो किसी प्रतिवादी के लिखित कथन से उद्भूत हो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 18 में अनुध्यात रीति से वाद की सुनवाई से पूर्व सुने जायेंगे और विनिश्चत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरणः- इस धारा में अभिव्यक्ति "दावे के गुणागुण" उन बातों को निर्दिष्ट करती है जो वाद के अवधारण के लिए उद्भुत होते है तथा जो वाद की विरचना, पक्षकारों और वाद-हेतुकों के कुसंयोजन वाद को ग्रहण करने या उस पर विचारण करने की न्यायालय की अधिकारिता, या संदेय फीस के संबध में नहीं है किन्तु पूर्व-न्याय परिसीमा और ऐसे ही अभिवाकों से उद्भूत बातें इसमें शामिल है।

12. विरचित विवादयकों पर अतिरिक्त फीसः- जहां कोई पक्षकार वाद में विरचित किसी विवादयक के आधार पर अतिरिक्त फीस का संदाय करने का दायी हो जावे वहां ऐसी अतिरिक्त फीस के उद्ग्रहण और अवधारण पर ठीक पूर्ववर्ती धारा के उपबंध इस उपांतरण के अध्यधीन लागू होंगें कि जहां दावी पक्षकार अनुज्ञात समय के भीतर उक्त अतिरिक्त फीस

का संदाय नहीं करता है वहां न्यायालय विवादयक को काट देगा और मामले के अन्य विवादयकों को सुनने और विनिश्चित करने की कार्यवाही करेगा।

13. दावे के भाग का त्यागः कोई वादी जिससे अतिरिक्त फीस संदत्त करने की अपेक्षा की गई है अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेंगा और दावे को इस प्रकार संशोधित किये जाने के लिए कि संदत्त फीस यथा-संशोधित वाद-पत्र में किये गये दावे के लिए पर्याप्त हो जाये, आवेदन कर सकेगा। न्यायालय ऐसे आवेदन को ऐसे निबंधनों पर जिन्हे वह न्यायोचित समझे, अनुज्ञात करेगा और यथा संशोधित वाद-पत्र में किये गये दावे को सुनने तथा उसे विनिश्िचित करने की कार्यवाही करेगा परन्तु ऐसे परित्याग भाग की वाद के किसी पश्चातवर्ती प्रकम पर दावे में जोडने के लिए वादी को अनुज्ञा नही दी जायेगी। ।

14. लिखित कथन पर संदये फीस :- जहां प्रतिवादी द्वारा फाइल किये गये लिखित कथन पर इस अधिनियम के अधीन फीस संदेय हो वहा ऐसे लिखित कथन पर संदये फीस के अवधारण और उद्ग्रहण के लिए धारा 11 के उपबंध लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए संबंधित प्रतिवादी को वादी और वादी या सह-प्रतिवादी पक्षकार को जिसके विरूद्ध दावा किया गया है, प्रतिवादी के रूप में माना जायेगा।

1**5. अपीलों आदि पर संदेय फीस :-** वादों के वाद-पत्र पर फीस के अवधारण और उद्ग्रहण से संबंधित धारा 10 से 13 तक के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन की किसी अपील के ज्ञापन प्रत्यारोप या द्वितीय अपील में की अन्य कार्यवाही को या राजस्थान उच्च न्यायालय के एक व्यायाधीश के निर्णय की अपील के संबंध में फीस के अवधारण या उद्ग्रहण पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16. याचिकाओं, आवेदनों आदि पर संदेय फीस : न्यायालयों में याचिकाओं आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों के संबंध में फीस अवधारण और उद्ग्रहण के लिए धारा 10 से 13 तक के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे ये वादों के वाद-पत्रों **पर फीस** के अवधारण और उद्ग्रहण के लिए लागू होते है।

17. *न्यायालय* फीस परीक्षक :- (1) उच्च न्यायालय, अधीनस्त न्यायालयों में की कार्यवाहियों की विषय-वस्तु के मूल्यांकन से और उनके बारे में फीस को पर्याप्तता से संबधित प्रश्नों पर ऐसे न्यायालयो को किये गये अभ्यावेदनों के और उनके द्वारा पारित आदेशों के ठीक होने के बारे में जांच करने की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए न्यायालय फीस परीक्षक पद नाम से अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(2) न्यायालय फीस परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोटों में उठाये गये और किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही से संबंधित प्रश्न, ऐसे न्यायालय द्वारा सुने और विनिश्चित किये जायगे, और शंका-निवारण करने के लिए इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ऐसी रिपोर्ट में उठाये गये किसी प्रश्न को सुनवाई और उसका विनिश्चय करते समय न्यायालयों के लिए उसी प्रश्न पर न्यायालय द्वारा किये गये पूर्व विनिश्चय का पुनर्विलोकन विधिपूर्ण होगा।

18. जांच और कमीशन:- यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या वाद या अन्य कार्यवाहियों की विषय-वस्तु का उचित मूल्यांकन किया गया है या क्या संदत फीस पर्याप्त है. न्यायालय ऐसी जांच कर सकेगा जो वह उचित समझे और यदि वह ठीक समझे, तो किसी उपयुक्त व्यक्ति को ऐसा स्थानीय या अन्य अन्वेषण, जो आवश्यक हो, करने का तथा उसके संबंध में न्यायालय की रिपोर्ट देने का निदेश देते हुए कमीशन जारी कर सकेगा। ऐसी रिपोर्ट और ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिलिखित साक्ष्य ऐसी जांच में साक्ष्य होगा।

19. राज्य सरकार को नोटिस:- किती वाद-पत्र, लिखित कथन, याचिका, अपील के ज्ञापन या अन्य दस्तावेज पर संदये फीस से या उस दोव की जिससे वाद-पत्र लिखित कथन, याचिका, अपील का ज्ञापन या अन्य दस्तावेज संबंधित है विषय-वस्तु के मूल्यांकन से, संबंधित किसी जांच में जहां तक कि ऐसा मुल्यांकन संदेय फीस को प्रभावित करता है। न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्यायोचित या आवश्यक समझे, राज्य संरकार को नोटिस दे सकेगा और जहां ऐसा नोदिस दिया जाता है वहां पूर्वोक्त प्रश्न या प्रश्नों के अवधारण के संबंध में राज्य सरकार को वाद में या अन्य कार्यवाही में एक पक्षकार समझा जायेगा, और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों पर न्यायालय का विनिश्चय जब कि वह ऐसे बाद या कार्यवाही में कोई डिक्री या अंतिम आदेश पारित करे, ऐसी डिक्री या अंतिम आदेश का भाग समझा जायेगा।

अध्याय--4
फीस की संगणना

20. फीस कैसे संगणित की जायेगी :- इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस इस अध्याय, अध्याय 6, अध्याय 8 और अनुसूची 1 और 2 के उपबंधों के अनुसार अवधारित या संगणित की जायेगी ।

21. धन के लिए वादः- धन के लिए किसी वाद में (नुकसानी या मुआवजे या भरण पोषण, वार्षिकियों या नियतकाल पर संदेय अन्य रकमों की बकाया के लिए किसी वाद को सम्मिलित करते हुए फीस दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी:

परन्तु घातक दुर्घटना अधिनियम 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के अघीन नुकसानी की किसी कार्रवाई या वाद में वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन पर दस रुपये की नियत फीस संदेय होगी।

22. भरण पोषण और वार्षिकियों के लिए वाद:- इसमें इसके पश्चात् वर्णित वादों में फीस निम्नरूपेण संगणित की जायेगीः-

(क) भरण पोषण के किसी वाद में, उस रकम पर जिसका एक वर्ष के लिए संदेय होना दावाकृत है,

(ख) भरण पोषण की रकम में वृद्धि या किसी कटोती के किसी वाद में उतनी रकम पर जितनी की वृद्धि या कटौती वार्षिक भरण पोषण की रकम में की जानी चाही गयी है।

(ग) वार्षिकियों या नियतकालिक रूप से संदेय अन्य रकमों के किसी वाद में. उस रकम जिसका एक वर्ष के लिए संदेय होना दावाकृत है, की पांच गुनी रकम परः

परन्तु जहां वार्षिकी पांच वर्ष से कम के लिए संदये हो वहां फीस संदेय रकमों के योग पर संगणित की जायेगी।

परन्तु यह और कि भरण-पोषण की रकम में वृद्धि के लिए वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जो भरण-पोषण की रकम की दावाकृत बढी हुई दर के लिए किसी वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता रखता हो और भरण-पोषण की रकम में कटौती के लिए वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जायेगा को वांछित कटौती की हुई दर से भरण पोषम के लिए किसी वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता रखता हो ।

23. जंगम सम्पत्ति के लिए वादः- (1) हक की दस्तावेजों से भिन्न जंगम सम्पत्ति के किसी वाद में फीस निम्नानुसार संगणित की जायेगीः-

(क) जहां विषय वस्तु का बाजार मूल्य है वहां उस मूल्य परः

या

(ख) जहां विषय-वस्तु का बाजार मूल्य नहीं है वहा चाहे गये अनुतोष का वाद-पत्र में जो मूल्यांकन किया गया है, उस रकम पर।

(2) (क) हक की दस्तावेजों के कब्जे के किसी वाद में फीस-

(i) जहां वाद पत्र में दस्तावेजों द्वारा प्रत्याभूत रकम या संपत्ति पर वादी के हक से इंकार किया गया हो, या

(ii) जंहा दस्तावेजों द्वारा प्रत्याभूत रकम या संपत्ति पर वादी के हक के संबंध में विवाद्यक विरचित हुआ हो,

बहां दस्तावेजों द्वारा प्रत्याभूत रकम के या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के एक चौथाई पर संगणित होगी:

परन्तु जहां वाद पत्र में का अभिकथन या विरचित विवाद्यक रकम या सम्पत्ति के किसी भाग से ही संबंधित हो तो फीस उस रकम के उक्त भाग के एक चौथाई पर या सम्पत्ति के ऐसे भाग के बाजार मूल्य के एक चौथाई पर संगणित की जायेगी ।

(ख) जहां दस्तावेजों द्वारा प्रत्याभूत रकम या सम्पत्ति पर वादी के हक से इंकार नहीं किया गया है वहां हक की दस्तावेजों पर कब्जे के किसी वाद में फीस चाहे गये अनुतोष को वाद पत्र में मूल्यांकित रकम या ऐसे अनुतोष की न्यायालय द्वारा मूल्यांकित रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, पर संगणित की जायेगी ।

स्पष्टीकरणः-अभिव्यक्ति "हक की दस्तावेज" से ऐसी दस्तावेज अभिप्रेत है जो, चाहे बर्तमान में या भविष्य में, किसी सम्पत्ति में किसी अधिकार, हक या हित को, चाहे वह निर्हित हो या समाश्रित, सृजित, घोषित समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करने के लिए तात्पर्यित हो या उसे प्रवर्तित करती हो।

24. घोषणा के लिए वाद:- पारिणामिक अनुतोष सहित या उसके बिना किसी घोषणात्मक डिक्री या आदेश के लिए किसी वाद में जो धारा 25 के अधीन न आता हो-

(क) जहां प्रार्थना किसी घोषणा के लिए और घोषणा से संबंधित सम्पत्ति पर कब्जे के लिए की गई हो वहां फीस सम्पति के बाजार मूल्य पर संगणित की जायेगी और यह बीस रूपये से कम नहीं होगी,

(ख) जहां प्रार्थना किसी घोषणा और पारिणामिक व्यादेश के लिए है और चाहा गया अनुतोष किसी स्थावर सम्पत्ति के संदर्भ में है वहाँ फीस संपत्ति के आधे बाजार मूल्य पर संगणित की जायेगी, और वह बीस रुपये से कम नहीं होगी;

(ग) जहां प्रार्थना किसी चिन्ह, नाम, पुस्तक चित्र डिजाइन या अन्य वस्तु का वादी द्वारा उपयोग, बिक्री मुद्रण या प्रदर्शन किये जाने के अनन्य अधिकार के संबंध में थी और ऐसे अनन्य अधिकार के अतिलंघन पर आधारित हो वहां फीस वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन को रकम पर संगणित की जायेगी और वह चालीस रुपये से कम नहीं होगी;

(घ) जहाँ प्रार्थना किसी भी सम्पति के संदर्भ में किसी घोषणा के लिए हो और किसी पारिमाणिक अनुतोष के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई हो वहां. फीस सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर संगणित की जायेगी, और वह बीस रूपये से कम नहीं होगी;

(ड) अन्य मामलों में चाहे वाद की विषय-वस्तु मुल्यांकन किये जाने योग्य हो या नही, फीस, वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन की रकम पर संगणित की जायेगी, और वह पच्चीस रुपये से कम नहीं होगी ।

25. दत्तक-ग्रहण वाद:- दत्तक ग्रहण को विधि मान्यता या अविधिमान्यता या किसी दस्तक ग्रहण के तथ्य के संबंध में घोषणा के लिए किसी वाद में फीस निम्न लिखित दरों पर सदेय होगी :-

जहां अनुतोष में अन्तर्वलित या उससे प्रभावित संपत्ति का बाजार मूल्य-

(i) पांच हजार रूपये या कम हो	पचास रुपये
(ii) पांच हजार रुपये से अधिक किन्तु दस हजार रुपये से अधिक नहीं हो	एक सौ रुपये
(iii) दस हजार रूपये से अधिक हो	पांच सौ रूपये

26. व्यादेश के लिए वाद:- व्यादेश के किसी वाद में-

(क) जहां चाहा गया अनुतोष किसी स्थावर संपत्ति के सबंध में हो और वादी अधिकथित करे कि संपत्ति पर उसके हक को अस्वीकार किया गया है तो फीस उस संपत्ति के बाजार मूल्य के आधे पर या तीन सौ रूपये पर जो भी अधिक हो, संगणित की जायेगी;

(ख) जहां प्रार्थना किसी चिन्ह, नाम, पुस्तक, चित्र, डिजाईन या अन्य वस्तु का वादी द्वारा उपयोग, बिक्री, मुद्रण या प्रदर्शन किये जाने के अनन्य अधिकार के संबंध में हो और ऐसे अन्नय अधिकार के अधिकथन पर आधारित हो वहां फीस वाद पत्र में चाहे गये अनुतोश के मूल्यांकन की रकम या पांच सौ रूपयें जो भी अधिक हो पर संगणित की जायेगी।
(ग) अन्य किसी मामले में, चाहे वाद की विषय-वस्तु का कोई बाजार मूल्य हो या नही, फीस वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन की रकम या चार सौ रूपये, जो भी अधिक हो, पर संगणित की जायेगी।

27 न्याय संपत्ति के संबंध में वाद :- न्यासियों के बीच या न्यासी के पद के परस्पर विरोधी दावेदार के बीच या किसी न्यासी और ऐसे व्यक्ति के बीच जो अब. न्यासी नही रहा हो. न्यास सम्पत्ति पर कब्जे या संयुक्त कब्जे के लिए या उसके संबंध में पारिणामिक अनुतोष सहित या उसके बिना घोषणात्मक डिक्री के किसी वाद में फीस संपत्ति के बाजार मूल्य के पांचवे भाग पर संणित की जायेगी जो दो सौ रूपये से अधिक नही होगी या जहां संपत्ति का कोई बाजार मूल्य न हो वहां एक हजार रूपये पर संगणित की जायेगी।

परन्तु जहां सम्पति का कोई बाजार मूल्य न हो, वहा न्यायालय की अधिकारिता अवधारित करने के प्रयोजनार्थ मूल्य वह रकम होगी जो वादी-वाद-पत्र में कथित करे।

स्पष्टीकरण: हिन्दू, मुस्लिम या अन्य धार्मिक अथवा या पूर्व विन्यास में समाविष्ट संपत्ति इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यास संपत्ति समझी जायेगी और ऐसी किसी संपत्ति का प्रबन्धक उसका न्यासी समझा जायेगा।

28. विनिर्दिष्ट अनुदोष अधिनियम, 1877 के अधीन कब्जे के लिए वादः- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 (1877 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 9 के अधीन स्थावर संपत्ति के कब्जे के किसी वाद में, फीस संपत्ति के आधे बाजार मूल्य पर या दो सौ रूपये पर , जो अधिक हो, संगणित की जायेगी ।

29. ऐसे कब्जे के लिए वाद, जिसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं गया है:- किसी स्थावर संपत्ति के कब्जे के जिस वाद के लिए अन्यथा उपबंध नही किया गया है वाद में फीस सम्पत्ति के बाजार मुल्य पर संगणित की जायेगी, जो बीस रुपये से कम नहीं होगी ।

30. सुखाचार संबंधी वादः अधिष्ठायी अथवा अनुसेवी स्वामी द्वारा सुखाचार से संबंधित किसी वाद में फीस, वन्द-पत्र में चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन की रकम पर संगणित की जायेगी, परन्तु ऐसी रकम किसी भी दशा में दो सौ रुपये से कम नहीं होगी ।

परन्तु जहां ऐसे सुखाचार के संबंध में अन्य अनुतोष के अलावा मुआवजे के लिए दावा किया गया हो वहां फीस ऐसे अन्य अनुतोष पर संदेय फीस के अलावा मुआवजे के रूप में दावाकृत रकम पर भी संदत्त की जायेगी।

31. शुफा के वाद:- शुफाधिकार का प्रवर्तित करने के वाद में फीस उस विक्रय के जिसको शुफाधिकारी शुन्य कराना चाहता है के प्रतिफल की रकम पर या विक्रीत संपत्ति के बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, संगणित की जायेगी।

32. बंधकी से संबंधित वाद (1) किसी बंधक पर शोध्य धन-राशि की वसूली के किसी वाद में फीस, दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी ।

(2) जहां ऐसे वाद में पूर्विक बंधक या भार के धारक को एक पक्षकार बनाया जाये और वह अपने लिखित कथन में यह प्रार्थना करे कि उसके बंधक या प्रभार पर शोध्य रकम अवधारित कर दी जाये और डिक्री में ऐसी रकम का उसे संदाय करने का निदेश दिया जाये तो फीस लिखित कथन पर संदेय होगी जो दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी:

परन्तु जहां बंधक या भार के धारक के अपने लिखित कथन से संबंधित दावे के संबंध में किसी अन्य कार्यवाही में फीस संदत्त कर दी है तो, उसके द्वारा ऐसी अन्य कार्यवाही में संदत्त फीस मुजरा कर दी जायेगी ।

(3) जहां ऐसे वाद में बंधकित संपत्ति की बिक्री कर दी जाती है और पूर्विक या पाश्चिक बंधक या भार का धारक अपने बंधक या भार पर शोध्य रकम के विक्रय आगम में से अपने को संदाय करने के लिए आवेदन करता है तो ऐसे पूर्विक या पाश्चिक बंधक या भार का धारक अपने आवेदन पर उतनी फोस का संदाय करेगा जो उसके द्वारा दावाकृत रकम पर संगणित की जाये:

परन्तु जहां बंधक या भार का ऐसा धारक उस वाद में पक्षकार को जिसमें कि विक्रय के होने का अभिनिर्धारण किया गया था और उसने अपने द्वारा वाद में फाइल किये गये लिखित कथन पर फीस का संदाय कर दिया हो तो विक्रय आगम में से संदाय, हेतु आवेदन पर उसके द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जहां बंधक या भार के धारक ने जो उस वाद में जिसमें कि विक्रय के होने का अभिनिर्धारण किया गया है पक्षकार नहीं है किसी अन्य कार्यवाही में के अपने आवेदन से सबंधित दावे पर फीस संदत्त कर दी है तो ऐसी अन्य कार्यवाही में उसके द्वारा संदत्त फीस मुजरा कर दी जायेगी ।

(4) किसी सह-बंधकदार द्वारा स्वयं के और अन्य सह-बंधकदारों के फायदे के लिए किये गये किसी वाद में फीस, संपूर्ण बंधक पर दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी:

परन्तु जहां ऐसे वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया कोई सह-बंधकदार संपूर्ण बंधक पर वाद-पत्र में दावाकृत राशि से अधिक के लिए दावा करता है वहां उक्त प्रतिवादी के लिखित कथन में दावाकृत संपूर्ण राशि पर और वाद-पत्र में दावाकृत संपूर्ण राशि पर संगणित फीस के बीच का अंतर लिखित कथन पर संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा की किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जो परिसीमा विधि पर प्रभाव डालने वाला हो ।

(5) (क) अनुबंधक पर दावाकृत रकम की, बंधकित संपत्ति में बंधकदार के हित के विक्रय द्वारा, वसूली के लिए अनुबंधकदार द्वारा किये गये किसी वाद में फीस, अनुबंधक के अधीन दावाकृत रकम पर संगगित की जायेगी ।

(ख) किसी अनुबंधकार द्वारा किये किसी वाद में, यदि मूल बंधकदार के पास बंधकित संपत्ति के विक्रय के लिए, प्रार्थना की गयी है और मूल बंधककर्ता भी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बना लिया गया है तो फीस मूल बंधक पर जो उसे अनुबंधकित किया गया है, दावाकृत संपूर्ण रकम पर संगणित की जायेगी

(6) जहां किसी पूर्विक या पाश्चिक बंधक या भार के धारक को सह-बंधकदार द्वारा किये गये वाद में जिस पर उप-धारा (4) लागू होती है अथवा किसी अुनबंधकदार द्वारा किये गये वाद में जिस पर उप-धारा (5) लागू होती है, पक्षकार बना लिया गया है वहां ऐसे बंधक या भार के धारक द्वारा फाइल किये गये लिखित बयान या आवेदन पर उप-धारा (2) और (3) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) जहां मूल बंधकदार जो किसी वाद में जिस पर उप-धारा (5) (ख) के उपबंध लागू होते है पक्षकार बना लिया गया हो अपने द्वारा अनुबंधकित बंधक पर, वाद-पत्र में दावाकृत रकम से अधिक रकम का दावा करता है तो, ऐसे बंधककर्ता के लिखित कथन पर उप-धारा (4) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(8) बंधक के मोचन के लिए किसी बंधकदार के विरुद्ध किसी वाद में फीस बंधक पर देय रकम पर, जो वाद-पत्र में उल्लिखित है, संगणित की जायेगी।

परन्तु जहां बंधक पर देय रकम उस रकम से अधिक पाई जाये जिस पर वादी द्वारा फीस संदत्त की गयी है वहां उस समय तक कोई डिक्री पारित नहीं की जायेगी जब तक कि कम रही फीस संदत्त न कर दो जाये :

परन्तु यह और कि किसी भोग बंधक या विलक्षण बंधक के मामले में यदि वादी मोचन के साथ साथ अतिरिक्त लाभो के लेखाओं के लिए भी प्रार्थना करता हे तो लेखाओं के संबंध में अनुतोष के लिए फीस अलग से उसी प्रकार उद्ग्रहीत की जायेगी, जिस प्रकार लेखाओं के लिए किसी वाद में उद्ग्रहीत की जाती हैं।

(9) बंधक को पुरोबंधित कराने या जहां बंधक सशर्त विक्रय द्वारा किया गया हो वहां विक्रय को आत्यंतिक घोषित कराने के लिए बंधकदार द्वारा किये गये किसी वाद में फीस, वाद-पत्र में मूलधन और ब्याज के रूप में दावाकृत रकम पर संगणित की जावेगी।

33. लेखाओं के लिए वाद- (1) लेखाओं के लिए किये गये किसी वाद में फीस उस रकम पर संगणित की जायेगी जिसके लिए वाद चलाया गया है और जो वाद-पत्र में प्राक्कलित की गई है।

(2) जहां वादी को संदेय रकम, जैसे कि वाद में अभिनिश्चित की गई है, वाद-पत्र में प्राक्कलित रकम से अधिक हो वहां इस प्रकार अभिनिश्चत रकम का संदाय करने का निदेश देने वाली डिक्री तब तक पारित नहीं की जायेगो जब तक कि वास्तव में संदत्त फीस और उस फीस के जो उस समय संदेय होती जबकि इस प्रकार अभिनिश्चित संपूर्ण रकम वाद में समाविष्ट होतो, बीच का अन्तर संदत्त नहीं कर दिया जाये ।

(3) यदि ऐसे समय के भीतर, जो न्यायालय नियम करें, अतिरिक्त फीस संदत्त नहीं की जाये तो डिक्री उतनी रकम तक ही सीमित होगी जिसके लिए फीस संदत्त की गई है।

(4) जहां किसी वाद से यह पता चले कि कोई रकम प्रतिवादी को संदेय है तो उसके पक्ष में कोई डिक्री तब तक पारित नहीं की जायेगी जब तक वह उस रकम पर देय फीस संदत्त न कर दे।

34. भागीदारी के विघटन के लिए वादः- (1) भागीदारी के विघटन और लेखाओं के लिए व विघटित भागीदारी के लेखाओं के लिए किसी वाद में फीस भागीदारों में वादी के हिस्से के मूल्य पर जैसा कि वादी द्वारा प्राक्कलित किया गया है, संगणित की जावेगी ।

(2) यदि वादी के हिस्से का मूल्य, जैसा कि वाद में अभिनिश्चित किया गया है वाद-पत्र में यथा-प्राक्कलित मूल्य से अधिक हो तो तब तक कोई डिक्री अथवा यदि कोई प्रारंभिक डिक्री हो गई हो तो कोई अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में पारित नहीं की जायेगी, भागीदारी की आस्तियों में से कोई संदाय नहीं किया जायेगा और वादी के हिस्से लेखे कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं की जायेगी अब तक की वास्तव में संदत्त फीस और उस फीस के, जो उस दशा में संदेय होती जबकि इस प्रकार अभिनिश्चित सपूर्ण मूल्य वाद में समाविष्ट होता, बीच का अन्तर संदत्त नही कर दिया जाये।

(3) ऐसे किसी वाद में भागीदारी की आस्तियों में प्रतिवादी के हिस्से के लिए या उनके कारण प्रतिवादी के पक्ष में तब तक कोई अंतिम डिक्री पारित नहीं की जायेगी, कोई धन संदत्त नहीं किया जायेगा और संम्पत्ति का कोई आवंटन नहीं किया जायेगा जब तक भागीदारी की आस्तियों में उसके हिस्से की रकम या मूल्य पर संगणित फीस संदत्त न कर दी जाये।

35. विभाजन के लिए वादः- (1) अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति अथवा ऐसी सम्पत्ति जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से हो या साझे में हो, के विभाजन तथा हिस्से के पृथक कब्जे के लिए किसी ऐसे वादों द्वारा जिसे ऐसी संपत्ति पर कब्जे से अपवर्जित कर दिया गया है, दायर किये गये किसी वाद में फीस की संगणना संपत्ति में वादी के हिस्से के बाजार मूल्य पर की जायेगी ।

(2) अविभक्त कुटुम्ब को सम्पत्ति जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से हो या साझे में हो, के विभाजन तथा पृथक कब्जे के लिए किसी ऐसे वादो द्वारा जिसका ऐसी सम्पत्ति पर संयुक्त कब्जा है, दायर किये गये किसी वाद में फीस निम्नलिखित दरों पर संदत्त की जायेगी, अर्थात् :-

(i) यदि वादी के हिस्से का मूल्य 5,000 रु. या कम हो तो तीस रुपये;

(ii) यदि मूल्य 5,000 रू. से अधिक किन्तु 10,000 रु. से अधिक न हो तो एक सौ रुपये; और

(iii) यदि मूल्य 10,000 रु. से अधिक हो तो दो सौ रुपये ।

(3) जहां, उप धारा (1) या उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले किसी वाद में कोई प्रतिवादी संपत्ति के विभाजन और उसमें अपने हिस्से पर पृथक कब्जे के लिए दावा करता है

है तो फीस उसके लिखित कथन पर संदये होगी जो ऐसे प्रतिवादी को कब्जे से अपवर्जित किये जाने या उसके संयुक्त रूप से काबिज होने के अनुसार उसके हिस्से के आधे बाजार मूल्य पर या उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट दरों की आधी पर संगणित की जायेगी।

(4) जहां उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले किसी वाद में वादी या प्रतिवादी धारा 38 में विनिर्दिष्ट स्वरूप की डिक्री या अन्य दस्तावेज को रद्द कराना चाहता हो, वहां रद्दकरण के अनुतोष के लिए उप धारा में विनिर्दिष्ट रीति से पृथक फीस संदेय होगी।

36. संयुक्त कब्जे के लिए वाद:- अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति पर या संयुक्त रूप में या साझे में स्वामित्वाधीन सम्पत्ति पर कब्जे के लिए किसी ऐसे वादी द्वारा, जिसे कब्जे से अपवर्जित कर दिया गया है. लाये गये वाद में फीस सम्पत्ति में वादी के हिस्से के बाजार मूल्य पर संगणित की जायेगी ।

37. प्रशासन के लिए वाद:- (1) किसी सम्पदा के प्रशासन के लिए किसी वाद में फीस, वाद-पत्र पर धारा 45 में विनिर्दिष्ट दरों से उद्गृहित की जावेगी।

(2) जहां कोई रकम या सम्पदा को आस्तियों का कोई हिस्सा अथवा भाग वादी को देय पाया जाये और उस रकम पर या आस्तियों के ऐसे हिस्से या भाग के बाजार मूल्य पर संगणित फीस वाद पत्र पर संदत्त फीस से अधिक हो तो जब तक वास्तविक रूप से संदत्त फीस और रकम पर या सम्पत्ति के मूल्य पर संगणित फीस के बीच का अन्तर संदत्त न कर दिया जाये तब तक कोई संदाय नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का संदाय करने का निदेश देने वाली या आस्तियों के ऐसे हिस्से या भाग पर हक की पुष्टि करने वाली कोई डिक्री पारित नहीं की जायेगी।

(3) प्रशासन के लिए किये गये किसी वाद में किसी प्रतिवादी को तब तक कोई संदाय नहीं किया जायेगा और न उसके पक्ष में धनराशि का संदाय करने का निदेश देने वाली या सम्पदा की आस्तियों के किसी हिस्से या भाग पर हक की पुष्टि करने वाली कोई डिक्री पारित की जायेगी जब तक कि उस रकम पर या उक्त आस्तियों, के ऐसे हिस्से या भाग के मूल्य पर संगणित फीस ऐसे प्रतिवादी द्वारा संदत्त न कर दी जाये ।

(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन किसी वादी या प्रतिवादी द्वारा संदेय फीस की संगणना करते समय ऐसे वादी या ऐसे प्रतिवादी द्वारा उस दावे से संबंधित किसी अन्य कार्यवाही में, जिसके कि आधार पर ऐसे वादी या ऐसे प्रतिवादी को ऐसी रकम या सम्पदा की आस्तियों का हिस्सा या भाग देय होता है, संदत्त फीस, यदि कोई हो, मुजरा कर दी जायेगी ।

(38) डिक्रीयों आदी के रद्दकरण के लिए वाद:- धन के लिए या ऐसी अन्य सम्पति के लिए जिसका धन के रूप में कोई मूल्य हो, किसी डिक्री के या अन्य दस्तावेज के, जो चाहे वर्तमान में या, भविष्य में किसी धन में या जंगम या स्थावर सम्पति में कोई अधिकार हक या हित सृजित, घोषित समनुदेशित परिसीमित या निर्वापित करने के लिए तात्पर्यित हो उसे प्रवर्तित करती हो रद्दकरण के लिए किसी वाद में फीस, वाद की विषय वस्तु के मूल्य पर संगणित की जायेगी और ऐसा मूल्य निम्नलिखित समझा जायेगा:-

(क) यदि सम्पूर्ण डिक्री या अन्य दस्तावेज का रद्दकरण चाहा गया हो तो वह रकम या संपत्ति का मूल्य जिसके लिए डिक्री पारित की गयी थी अथवा अन्य दस्तावेज निष्पादित की गयी थी; और

(ख) यदि किसी डिक्री या अन्य दस्तावेज के किसी भाग का रद्दकरण चाहा गया है तो ऐसी रकम का या ऐसे सम्पत्ति के मूल्य का उतना भाग ।

(2) डिक्री या अन्य दस्तवेज ऐसी है कि जिसके अधीन दायित्व का विभाजन नहीं किया जा सकता है और दावाकृत अनुतोष वादी की सम्पति को केवल किसी मद विशेष से या ऐसी सम्पत्ति में वादी के हिस्से से संबंधित है तो, फीस ऐसी सम्पत्ति या हिस्से के मूल्य अथवा डिक्री की रकम पर जो भी कम हो, संगणित की जायेगी।

स्पष्टीकरण:- किसी पंचाट को अपास्त करने का कोई वाद इस धारा के अर्थान्तर्गत डिक्री की अपास्त करने का वाद समझा जायेगा।

39. कुक्री आदि को अपास्त करने के लिए वादः- (1) किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा किसी सम्पत्ति की, जो चाहे जंगम हो या स्वावर, या उसमें के किसी हित का अथवा आमदनी में के किसी हित की कुक्री को अपास्त करने हेतु या उस कुर्की को अपास्त करने हेतु दिये गये किसी आवेदन पर पारित किसी आदेश को अपास्त करने के लिए किए गये किसी वाद में फीस उस रकम पर, जिसके लिए सम्पत्ति कुर्क की गई थी अथवा कुर्क की गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के एक चौथाई पर, जो भी कम हो, संगणित की जायेगी ।

(2) किसी सिविल या राजस्व न्यायालय के किसी अन्य संक्षिप्त विनिश्चय या आदेश को अपास्त करने के लिए किए गये किसी वाद में फीस, यदि वाद की विषय-वस्तु का कोई बाजार मूल्य हो तो ऐसे मूल्य के एक चौथाई भाग पर संगणित को जायेगी और अन्य मामलों में फीस धारा 45 में विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय होगी ।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार को सिवित न्यायालय समझा जायेगा ।

40. विनिर्दिष्ट पालन के लिए वादः- विविर्दिष्ट पालन चाहे वह कब्जे सहित हो या बिना कब्जे के लिए किये गये किसी वाद में फीस-

(क) विक्रय की किसी संविदा के मामले में प्रतिफल की रकम पर संगणित की जाकर;

(ख) बंधक की किसी संविदा के मामले में बंधकदार द्वारा प्रत्याभूत किये जाने के लिए सहमत रकम पर संगणित की जाकर;

(ग) पट्टे की संविदा के किसी मामले में जुर्माना या प्रीमियम यदि कोई हो की तथा संदत्त की जाने के लिए सहमत वार्षिक भाटक के औसत की, कुल रकम पर संगणित की जाकर ;

(घ) विनिमय की किसी संविदा के मामले में, प्रतिफल की रकम पर या यथास्थिति विनिमय में ली जाने के लिए ईप्सित संपत्ति के बाजार मूल्य पर, संगणित की जाकर;

(ङ) अन्य मामलों में, जहां वचन के, जिसका प्रवर्तित किया जाना चाहा गया है, प्रतिफल का कोई बाजार मूल्य हो तो ऐसे बाजार मूल्य पर या जहां ऐसे प्रतिफल का कोई बाजार मूल्य न हो वहां धारा 45 में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित की जाकर संदेय होगी।

41. भू-स्वामी और अभिधारी के बीच वाद (1) भू-स्वामी और अभिधारी के बीच निम्नलिखित वादों में, अर्थात्ः

(क) अभिधारी से पट्टे का प्रतिफल कराये जाने के लिए;

(ख) भाटक में वृद्धि के लिए;

(ग) भू-स्वामी से पट्टा परिदत्त कराये जाने के लिए;

(घ) उस स्थावर सम्पत्ति पर कब्जे की वापसी के लिए जिससे किसी अभिधारी को भू-स्वामी द्वारा अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया है; और

(ङ) अभिधारी के अधिकार को सिद्ध करने या नासाबित करने के लिए;

फीस उस स्थावर सम्पत्ति के लिए जिनके संबंध में वाद है, वाद-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदेय भाटक की रकम पर उद्गृहीत की जायेगी।

(2) किसी अभिधारी से, जिसमें कोई ऐसा अभिधारी भी सम्मिलित है जो अभिधृति के पर्यवसान के पश्चात् भी अतिधारण कर रहा है, स्वावर सम्पत्ति की वापसी के लिए किसी वाद में फीस, प्रीमियम पर, यदि कोई हो और वाद-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदेय भाटक पर संगणित की जायेगी ।

स्पष्टीकरण: भाटक में अतिधारण करने वाले किसी अभिधारी द्वारा उपयोग और अधिभोग के लिए संदेय नुकसानी भी सम्मिलित है।

42. अंतःकालीन लाभों के लिये वाद :- (1) अंतकालीन लाभों या स्थावर सम्पत्ति और उससे होने वाले अंतःकालीन लाभों के लिए किसी वाद में अंत:कालीन लाभों के संबंध में फीस ऐसे लाभों के रूप में दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी। यदि वादी को देय अभिनिश्चित किये गये लाभ दावाकृत लाभों से अधिक हों तो, डिक्री तब तक पारित नहीं की जायेगी, जब तक कि वास्तविक रूप से संदत्त फीस और उस फीस के बीच के अन्तर का संदाय न कर दिया जाये जो, उस दशा में संदेय होती जब कि इस प्रकार अभिनिश्चित संपूर्ण लाभों को वाद में समाविष्ट कर लिया जाता ।

(2) जहां किसी डिक्री में यह निर्देश हो कि वाद संस्थित किये जाने से पर्वू या पश्चात सम्पत्ति पर प्राद्भूत अंत:कालीन लाभें के बारे में जांच की जाये वहां अन्तिम डिक्री तब तक पारित नही की जायेगी जब तक कि वास्तविक रूप से संदत्त फीस और उस फीस का अन्तर

संदत्त न कर दिया जाये जो उस दशा में संदेय होती जबकि ऐसी डिक्री की तारीख तक देय हुए संपूर्ण लाभों को वाद में समाविष्ट कर लिया जाता।

(3) जहां डिक्री या अन्तिम डिक्री की तारीख से पश्चातवर्ती कालावधि के लिए ऐसी डिक्री या अन्तिम डिक्री में, अन्त:कालीन लाभों का विनिर्दिष्ट दर से संदाय करने का निदेश हो वहां ऐसी डिक्री या अन्तिम डिक्री तब तक निष्पादित नही की जायेगी जब तक उसके निष्पादन में दावाकृत रकम पर संगणित फीस का संदाय नही कर दिया जाता।

43. लोक विषयों से संबंधित वाद :- सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 91 या धारा 92 के अधीन अनुतोष के लिए किसी वाद में संदेय फीस तीस रूपये होगी।

44. अंतराभिवाची वाद :- (1) किसी अन्तराभिवाची वाद में वाद-पत्र पर फीस धारा 45 में विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय होगी।

(2) जहां दावेदारों के बीच विवाद्यक विरचित किये जायें वहां ऋण की रकम पर या धनराशि पर या अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति के जो वाद की विषय बस्तु हो, बाजार मूल्य पर संगणित फीस संदये होंगी। ऐसी फीस का उद्ग्रहण करते समय, वाद-पत्र पर संदत्त फीस मुजरा कर दी जायेगी, और फीस का शेष भाग उन दावेदारों द्वारा बराबर के हिस्सो में संदत्त किया जायेगा जो ऋण या धनराशि या संपत्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध दावा करते हैं।

(3) न्यायालयों की अधिकारिता अवधारित करने के प्रयोजनार्थ मूल्य, ऋण की वह रकम या धनराशि होगी अथवा अन्य सम्पत्ति का बाजार मूल्य होगा, जिससे वाद संबंधित है।

45. वाद, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है :- जिन वादों के लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है उनमें निम्नलिखित दरों पर फीस संदेय होगी :-

जंहा विवादग्रस्त विषय-वस्तु की रकम या मूल्य-

(i) 1000/- रू. से कम हो	दस रुपये
(ii) 1000/- रु. से कम न हो किन्तु 3000/-रु. से अधिक न हो	तीस रुपये
(iii) 3000/-रु. से कम न हो और 5000/-रु. से अधिक न हो	एक सौ रुपये
(iv) 5,000/- रु. से अधिक हो किन्तु 10000/- रु. से अधिक न हो	दो सौ रुपये
(v) 10,000 /- रु से अधिक हो	तीन सौ रुपये ।

46. मुआवजे से संबंधित आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन पर फीस : लोक प्रयोजनार्थ सम्पत्ति के अर्जन के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन मुआवजे से संबंधित किसी आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन पर इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस, अधिनिर्णीत रकम और अपीलार्थी द्वारा दावाकृत रकम के बीच के अंतर पर संगणित की जायेगी ।

47. अपील:- अपील में संदेय फीस वही होगी जो अपील की विषय-वस्तु पर प्रथम न्यायालय में संदेय हो :

परन्तु जिस व्यक्ति की अपील प्रथम बार के न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध लम्बित है, उसके द्वारा अंतिम डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के ज्ञापन पर फीस उद्गृहीत करते समय ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध अपील में संदत्त फीस मुजरा कर दी जायेगी ।

स्पष्टीकरण :- (1) अपील चाहे अनुतोष की नामंजूरी के विरुद्ध हो या अनुतोष देने के विरुद्ध हो, अपील में वही फीस संदेय होगी जो अनुतोष पर प्रथम बार के न्यायालय में संदेय होती ।

स्पष्टीकरण (2) खर्चे अपील की विषय-वस्तु का भाग नहीं समझे जायेंगे सिवाय उस स्थिति के जबकि ऐसे खर्चे स्वयं अपील की विषय-वस्तु हो या वाद में मुख्य विषय-वस्तु के संबंध में दावाकृत अनुतोष के अतिरिक्त या उस पर अनाश्रित आधारों पर खर्च के संबंध में अनुतोष के लिए दावा किया गया हो।

स्पष्टीकरण :- (3) ऐसे दावों में, जिनमें वाद संस्थित होने के पश्चात् का ब्याज दिया जाना सम्मिलित है, वाद के लंबित रहने के दौरान डिक्री की तारीख तक प्रोद्भुत बयाज, सिवाय उस दशा के जबकि ब्याज त्याग दिया गया हो, अपील की विषय बस्तु का भाग समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण:- (4) जहां अपील में प्रार्थित अनुतोष उस अनुतोष से भिन्न हो जिसके लिए प्रथम न्यायालय में प्रार्थना की गई थी या जो वहां नामंजूर कर दिया गया था, तो अपील में संदेय फीस वही होगी जो अपील में प्रार्थित अनुतोष के लिए प्रथम न्यायालय में संदय होती ।

स्पष्टीकरण :- (5) जहां संदेय फीस की संगणना या अवधारण करने के प्रयोजनार्थ अपील की विषय-वस्तु का बाजार मूल्य अभिनिश्चित किया जाना हो वहां बाजार-मूल्य वहीं अभिनिश्चित किया जायेगा जो वाद-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को था ।

48. वाद जिनके लिए अन्यथा उपबंध नही किया गया :- (1) किसी वाद में, जिसके मूल्य के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता के अवधारण के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम में या किसी अन्य विधि में अन्यथा विनिर्दिष्ट उपबंध नयीं किया गया है, उस प्रयोजन के लिए और इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस की संगणना के प्रयोजना के लिए मूल्य एक ही होगा।

(2) किसी वाद में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन फीस नियत दर से संदेय हो, न्यायालय की अधिकारिता अवधारित करने के प्रयोजनार्थ मूल्य, बाजार-मुल्य होगा या जहां धन के रूप में उसके मूल्य का अनुमान लगाया जाना संभव न हो वहाँ वह रकम होगी जो कि वादी वाद-पत्र में कथित करे ।

49. जहां अपील पर पुनरीक्षण में यह आक्षेप किया जाये कि वाद या अपील की अधिकारिता के प्रयोजनो के लिए मूल्यांकन उचित तौर पर नहीं किया गया, वहां प्रक्रियाः- (1) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 99 में किसी बात के होते हुए भी यह आक्षेप कि किसी वाद या अपील के अति- मूल्यांकन या न्यून मूल्यांकन के कारण किसी प्रथम बार के न्यायालय या निचले अपील न्यायालय ने, जिसकी उस वाद या अपील के संबंध में अधिकारिता प्राप्त नहीं थी, उसके बारे में अधिकारिता का प्रयोग किया, किसी अपील न्यायालय द्वारा सिवाय उस दशा के ग्रहण नहीं किया जायेगा जबकि -

(क) वह आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में उस सुनवाई के समय या उसके पूर्व, जिसमें विवाद्यक पहली बार विरचित और अभिलिखित किये गये थे अथवा निचली अपील न्यायालय में उस न्यायालय को की गई अपील के ज्ञापन में किया गया था, अथवा

(ख) अपील न्यायालय का ऐसे कारणों से जिन्हें, वह लेखाबद्ध करेगा, समाधान हो गया हो कि वाद या अपील का अतिमूल्यांकन या न्यून मूल्यांकन किया गया था और उसके अतिमूल्यांकन या न्यून मूल्यांकन का, वाद या अपील को उसके गुणागुण के आधार पर निपटाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(2) यदि आक्षेप उप-धारा (1) के खण्ड (क) में वर्णित रीति से किया गया था किन्तु अपील न्यायालय का उस उप-धारा के खण्ड (ख) में वर्णित दोनों बातों के बारे में समाधान नहीं होता है और उसके समक्ष वह सामग्री है जो उसे की गई अपील के अन्य आधारों के अवधारण के लिए आवश्यक है तो वह अपील को ऐसे निपटायेगा मानो प्रथम बार के न्यायालय या निचले अपील न्यायालयों में अधिकारिता की कोई त्रुटि नहीं थी।

(3) यदि आक्षेप उस रीति से किया गया था अपील न्यायालय का उन दोनों बातों के बारे में समाधान हो जाता है और उसके समक्ष वह सामग्री नहीं है तो, वह उस न्यायालय को अपीलों की सुनवाई के बारे में लागू नियमों के अधीन अपील पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा किन्तु यदि वह वाद या अपील की प्रतिप्रेषित करे या विवादयक विरचित करे और उन्हें विचारणार्थ निर्देशित करे, या अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने की अपेक्षा करे तो वह अपना आदेश उसे न्यालय को निर्दिष्ट करेगा जो उस वाद या अपील को ग्रहण करने के लिए सक्षम है।

(4) अपील न्यायालय के बारे में इस धारा के उपबंध, जहां तक वे लागू किये जा सकते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की घारा 115 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियमित के अधीन पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय को लागु होगे ।

अध्याय - 6

प्रोबेट, प्रशासन-पत्र और प्रशासन प्रमाण-पत्र

50. प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन पत्र :- (1) प्रोबेट या प्रशासन पत्र मंजूर करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ अनुसूची 3 के भाग 1 में उपवर्णित प्ररूप में सम्पदा का मूल्यांकन दो प्रतियों में होगा ।

(2) ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय आवेदन पत्र तथा मूल्यांकन की एक प्रतिलिपि उस जिले के कलक्टर को भेजेगा जहां वह सम्पदा स्थित है या यदि सम्पदा एकाधिक जिलों में स्थित है तो उस जिले के कलक्टर को भेजेगा जिसमें संपदा में सम्मिलित स्थावर सम्पत्ति का सबसे अधिक मूल्यवान भाग स्थित है।

51. फीस का उद्ग्रहण :- (1) प्रोबेट या प्रशासन-पत्र मंजूर किये जाने के लिए प्रभार्य फीस अनुसूची 1 के अनुच्छेद 6 में विहित दर या दरों पर संगणित की जायेगी,-

(क) जहां मृतक की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन पत्र किया जाता है, वहां ऐसी तारीख को सम्पदा के बाजार मूल्य पर; या

(ख) जहां आवेदन पत्र ऐसी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है, वहां आवेदन पत्र की तारीख को सम्पदा के बाजार मूल्य परः

परन्तु शर्त यह है कि कोई सम्पत्ति, जो ऐसे न्यास के रूप में धारित हो कि जो फायदाप्रद न हो या जिसके साथ फायदाप्रद हित प्रदान किये जाने की सामान्य शक्ति न हो, इस अध्याय के अधीन किसी फीस के दायित्वाधीन नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- मिताक्षर विधि से नियंत्रित किसी अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब का कोई सदस्य जो अविभक्त कुटुम्ब के किसी मृतक सदस्य की संपदा के संबंध में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन करता है, अविभक्त सम्पत्ति में उस हिस्से के मूल्य पर फीस का संदाय करेगा जो मृतक तब प्राप्त करता यदि सम्पत्ति का विभाजन मृत्यु से ठीक पूर्व किया जाता ।

(2) फीस की संगणना करने के प्रयोजनार्थ -

(क) अनुसूची 3 के भाग 1 के उपबंध "ख" में वर्णित मदों का मूल्य, सम्पदा के मूल्य में से कांट लिया जायेगा :

परन्तु जब किसी सम्पदा के केवल किसी भाग के लिए प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों हेतु कोई आवेदन किया जाता है तो कोई ऋण अंत्येष्टि क्रिया या उत्तर कर्म के संबंध में कोई व्यय और संपदा के किसी भी हिस्से पर का, उस हिस्से को छोड़कर जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, कोई बंधक भार नहीं काटा आयेगा:

परन्तु यह और कि जब, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 39) के भाग 10 के अधीन किसी संपदा में सम्मिलित किसी संपत्ति के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र मंजूर होने के पश्चात् उसी सम्पदा के संबंध में कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र मंजूर किया जाये तो पश्चातवर्ती मंजूरी के संबंध में संदेय फीस में से पूर्ववर्ती मंजूरी के संबंध में संदेय फीस की रकम कम करदी जायेगी;

(ख) किसी संपत्ति के संबंध में जो नियोजन-शक्ति मृत व्यक्ति में निहित थी या जिस शक्ति का सृजन बिल के द्वारा किया गया है उस शक्ति को हिसाब में लिया जायेगा और जिस सम्पत्ति की विषय वस्तु से संबंधित वह शक्ति है उसका मूल्य ही ऐसी शक्ति का मूल्य भी समझा जायेगा ।

52. प्रोबेट मंजूर किया जाना :- प्रोबेट या प्रशासन पत्र मंजूर किये जाने में धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन कलक्टर को निर्देश किये जाने या धारा 54 की उप-धारा (5) के अधीन कलक्टर के किसी प्रस्ताव के कारण, विलम्ब नहीं किया जायेगा, किन्तु न्यायालय कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र तब तक नही देगा जब तक कि उसका यह समाधान नही हो जाये कि आवेदन के साथ मूल्यांकन में अथवा धारा 54 की उप-धारा (3) के अधीन फाईल किये गये संशोधित मूल्यांकन में यथा-प्रस्तुत सम्पदा के शुद्ध मूल्य के आधार पर इस अधिनियम द्वारा विहित फीस से कम फीस संदत्त नहीं की गई है।

परन्तु न्यायालय इस बात के होते हुए भी कि विहिती फीस संदत्त नहीं की गई है, वहा प्रशासक को उसकी पदीय हैसियत में उसके द्वारा न्यायालय को इस आशाय का समाधान-प्रद रूप में परिवचन दिये जाने पर कि उक्त फीस ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाये, संदत्त कर दी जायेगी प्रोबेट या प्रशासन-पत्र दे सकेगा।

53. कई प्रदानों के मामलों में अवमुक्ति :- (1) जब कभी किसी सम्पदा की सम्पूर्ण सम्पति के सबंध में कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र प्रदान किया गया है और ऐसे प्रदान के लिए आवेदन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उस पर संदेय पूर्ण फीस का संदाय कर दिया गया है तो कोई फीस तब संदेय नहीं होगी जब उसी संपदा की उसी सम्पूर्ण सम्पदा या उसके किसी भाग के संबंध में वैसा ही कोई प्रदान किया जाये।

(2) जब कभी किसी सम्पदा की भाग-रूप किसी सम्पत्ति के संबंध में ऐसा प्रदान किया गया हो तो इस अधिनियम के अधीन उसके संबंध में वास्तव में संदत्त फीस की रकम उस दशा में काट ली जायेगी जब कि उसी सम्पदा को सम्पत्ति के संबंध में, जो वही सम्पत्ति है या जिसमें वह सम्पति सम्मिलित है, जिससे पूर्ण प्रदान संबंधित है, वैसा ही कोई प्रदान किया जाये।

54. कलक्टर द्वारा जांच:- (1) धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन जिस कलक्टर को आवेदन और मूल्यांकन की प्रतिलिपि भेजी गई है, वह उसकी परीक्षा करेगा और मूल्यांकन के सही होने के संबंध में या यदि उसके जिले में सम्पत्ति का कोई भाग ही स्थित हो तो, उस भाग के मूल्यांकन के सही होने के संबंध में ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह ठीक समझे, कर सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा करा सकेगा और किसी भी अन्य जिले जिसमें सम्पत्ति का कोई भाग स्थित है, के कलक्टर से उसका सही मूल्यांकन अपने को भेजने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) कोई कलक्टर, जिससे किसी सम्पत्ति का उप-धारा (1) के अधीन सही मूल्यांकन भेजने की अपेक्षा की जाये, ऐसी जांच, यदि कोई हो जिसे वह ठीक समझे, करने के पश्चात् या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से कराने के पश्चात् अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा ।

(3) यदि कलक्टर की यह राय हो कि आवेदक ने मृतक को सम्पत्ति का अव-प्राक्कलन किया है तो वह, यदि वह ठीक समझे, आवेदक की, व्यक्तिशः या उसके एजेण्ट द्वारा उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी रीति से साक्ष्य ले सकेगा और मामले की जांच कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और यदि उसका फिर भी यही मत हो कि सम्पत्ति का अवप्राक्कलन किया गया है तो आवेदक से मूल्यांकन को संशोधित करने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि न्यायालय में प्रोबेट या प्रशासन पत्रों के लिए आवेदन लंबित हैं तो, ऐसे न्यायालय में संशोधित मूल्यांकन की प्रति फाइल करने की आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा।

(4) यदि ऐसे किसी मामले में प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्रदान किया जा चुका हो या किये जा चुके हैं और आवेदक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में मूल्यांकन को संशोधित कर देता है तथा कलक्टर को यह प्रतीत हो कि सम्पदा के सही मूल्य के अनुसार संदेय पूरी फीस का संदाय नहीं किया गया है तो वह धारा 56 की उप धारा (4) के अधीन कार्यवाही करेगा, किन्तु यदि संदत्त फीस संपदा के सही मूल्य के अनुसार संदेय फीस से अधिक हो तो आवेदक को वह अधिक फीस वापस कर दी जायेगी ।

(5) यदि आवेदक, मूल्यांकन को कलक्टर के समाधानप्रद रूप में संशोधित नहीं करता है तो कलक्टर, उस न्यायालय को जिसके समक्ष प्रोबेट या प्रशासन पत्र के लिए आवेदन किया गया था, सम्पत्ति के सही मूल्य के संबंध में जांच करने के लिए समावेदन कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई समावेदन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का (1925 केन्द्रीय अधिनियम, 39) की धारा 317 द्वारा अपेक्षित तालिका के प्रदर्शन की तारीख से छह माह के समाप्त होने के पश्चात नही किया जायेगा।

55. न्यायालय को आवेदन तथा न्यायालय की शक्तियां: (1) धारा 54 की उप- धारा (5) के अधीन कलक्टर द्वारा न्यायालय को समावेदन किये जाने पर न्यायालय, उस सही मूल्य के विषय में, जिस पर मृतक की संपदा प्राक्कलन की जानी चाहिए थी, जांच करेगा या अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारी से उसकी जांच करायेगा । कलक्टर इस जांच में एक पक्षकार समझा जायेगा।

(2) ऐसी किसी जांच के प्रयोजनार्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय द्वारा जांच करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी आवेदक की स्वयं या कमीशन के जरिये शपथ पर परीक्षा कर सकेगा तथा ऐसा और साक्ष्य ले सकेगा जो सम्पदा का सही मूल्य साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाये और जहां जांच किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारो को सौप दी गयी हो वहां ऐसा न्यायालय या अधिकारी लिये गये साक्ष्य को न्यायालय को लोटा देगा तथा जांच के परिणाम की रिपोर्ट देगा और ऐसी रिपोर्ट तथा इस प्रकार लिया गया साक्ष्य कार्यवाहियों में साक्ष्य होगा ।

(3) न्यायालय, जांच पूरी हो जाने पर या उप-धारा (2) में निदिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथास्थिति, सम्पदा के उस सही मूल्य के विषय में, जिस पर मृतक की सम्पदा प्राक्कलित की जानी चाहिए थी अपना निष्कर्ष अभिलिक्षित करेगा और ऐसा निष्कर्ष अन्तिम होगा ।

(4) न्यायालय जांच के खर्च के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबंधों के अनुसार ऐसे अदेश दे सकेगा जो वह ठीस समझे ।

56 उन मामलों के लिए उपबंध जिसमें बहुत कम फीस संदत्त की गई है:- (1) जहां किसी भूल के कारण या उस समय यह तथ्य ज्ञात न होने के परिणाम स्वरूप कि सम्पदा का कोई भाग विशेष मृतक व्यक्ति का था. किसी प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर बहुत कम फीस संदत्त की गई है वहां यदि ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अधीन कार्य करने वाला कोई निष्पादक या प्रशासक ऐसी भूल का या किन्हीं की चीजबस्तों का, जिनके बारे में उस समय यह ज्ञात नहीं था कि वे मृत व्यक्ति की है, पता चलने के पश्चात् अनुसूची 3 के भाग में दिये गये प्रारूप में कलक्टर को आवेदन करता है और ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर प्रथमतः संदेय फीस और वस्तुतः संदत्त फीस के अन्तर का संदाय पता चलने के छः माह के भीतर कर देता है तो कलक्टर, यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रथमतः अपर्याप्त फीस का संदाय किसी भूल के कारण किया गया था तथा धोखा देने अथवा समुचित फीस के संदाय में विलम्ब करने का आशय नहीं था तो प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों को सम्यक रूप से स्टाम्पित करायेगा ।

(2) उप धारा (1) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में यदि निष्पादक या प्रशासक उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट छ: मास की अवधि के भीतर फीस में कम रही राशि का संदाय नहीं करता है तो उसकी फीस में कम रही राशि के पांच गुने के बराबर राशि समपहृत हो जायेगी।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन आवेदन किये जाने के पश्चात्, कलक्टर का समाधान हो जाये कि भूल का पता चलने या भूल मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं की गयी चीजवस्तों का पता चलने के छः माह के भीतर आवेदन नहीं किया गया था या प्रथमतः अपर्याप्त फीस का संदाय सद्भाविक भूल के कारण नहीं किया गया था, तो वह ऐसी फीस के पांच गुने से अनधिक शास्ति के साथ कम रही फीस का संदाय करने पर प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों को सम्यक् रूप से स्टाम्पित करायेगा ।

(4) यदि किसी सम्पदा का प्रोबेट या प्रशासन-पत्र मंजूर किये जाने के पश्चात् धारा 54 या धारा 55 के अधीन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप या अन्यथा कलक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्पदा के सही मूल्य के अनुसार संदेय फीस से कम फीस संदत्त की गई हैं तो वह कम रही फीस का संदाय करने पर प्रोबेट या पत्रों की समुचित रूप से स्टाम्पित करायेगा और यदि उसका समाधान हो जाये कि मूलतः किया हुआ न्यून मूल्यांकन सद्भावित नहीं था तो वह कम फीस के पांच गुने से अनधिक शास्ति उद्गृहीत करेगा ।

(5) राजस्व बोर्ड, उप-धारा (2) के अधीन समपहृत सम्पूर्ण रकम अथवा उसके किसी भाग का या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन सम्पूर्ण शास्ति या उसके किसी भाग का परिहार कर सकेगा ।

57. पत्रों के स्टाम्पित किये जाने से पूर्व प्रशासक द्वारा समुचित प्रतिभूति का दिया जानाः- ऐसे प्रशासन-पत्रों की दशा में जिन पर प्रथमतः बहुत ही कम फीस का संदाय किया गया है, कलक्टर पूर्वोक्त रीति से उनको तब तक सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं करायेगा जब तक कि प्रशासक उस न्यायालय को, जिसके द्वारा प्रशासन पत्र मंजूर किये गये हैं. ऐसी प्रतिभूति नहीं दे दे जो उन्हें मंजूर किये जाने पर उस दशा में विधि के अनुसार दी जानी चाहिए थी जबकि मृत व्यक्ति की सम्पदा का पूरा मूल्य उस समय अभिनिश्चित कर लिया गया होता।

58 फीस अत्यधिक मात्रा में संदत किये जाने की स्थिति में राहत :- (1) यदि किसी सम्पदा का प्रोबेट या प्रशासन-पत्र प्रदान किये जाने के पश्चात् किसी भी समय यह पता चले कि सम्पदा के सही मूल्य के अनुसार जो फीस संदेय थी उससे अधिक फीस संदत कर दी गई है तो निष्पादक या प्रशासक, यथास्थित, उस कलक्टर को जिसे घारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन सम्पदा के मुल्यांकन की प्रतिलिपि प्रेषित की गई थी, प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकेगा आवेदन के साथ, अनुसूची (3) के भाग 2 में दिये गये प्ररूप में संशोधित मूल्यांकन और वह प्रोबेट अथवा प्रशासन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिस पर प्रतिदाय चाहा गया है।

(2) यदि कलक्टर का समाधान हो जाये कि संशोधित मूल्यांकन सही है तो वह-

(i) स्टम्पित प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर इस आशय का प्रमाण पृष्ठांकित करेगा कि प्रयुक्त स्टम्प या स्टाम्पों द्वारा दर्शित इतनी फीस का प्रतिदाय कर दिया गया है; और

(ii) मूलतः संदत्त फीस और जो फीस संदत की जानी चाहिए थी उसके बीच के अन्तर का प्रतिदाय करेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई प्रतिदाय तब तक मंजूर नही किया जायेगा जब तक कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र प्रदान किये जाने की तारीख से तीन वर्ष के भतर या ऐसी और कालावधि के भीतर जिसे कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रतिदाय के लिए आवेदन न कर दिया गया हो ।

(3) यदि, किसी विधिक कार्यवाही के कारण, मृत व्यक्ति द्वारा देय ऋण अभिनिश्चित और संदत्त नहीं किये गये हों अथवा उसकी चीजबस्त प्रत्युद्धरित और उपलब्ध नहीं करायी गयी हों और इनके परिणामस्वरूप निष्पादक या प्रशासक उक्त तीन वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसे अन्तर की वापसी का दावा करने से निवारित हो गया हो तो कलक्टर दावा करने के लिए ऐसा और समय अनुज्ञात कर सकेगा जो परिस्थितियों को देखते हुए उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।

(4) यदि, कलक्टर प्रतिदाय मंजूर नहीं करता है तो निष्पादक या प्रशासक, यथास्थिति प्रतिदाय के आदेश के लिए राजस्व बोर्ड को आवेदन कर सकेगा। ऐसे प्रतिदाय के लिए आवेदन के साथ अनुसूची 3 के भाग 2 में दिये गये प्ररूप में संशोधित मूल्यांकन होगा ।

59. शास्तियों इत्यादि की वसूलीः प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के किसी आवेदन द्वारा या किसी निष्पादक या प्रशासक द्वारा संदेय पायी गयी कोई अधिक फीस या धारा 55 की उप-धारा (4) के अधीन कोई खर्चे या ऐसे किसी निष्पादक या प्रशासक द्वारा संदेय कोई शास्ति या समपहरण राजस्व बोर्ड के प्रमाण-पत्र पर निष्पादक या प्रशासक से इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

60. राजस्व बोर्ड की शक्तियाः इस अध्याय के अधीन कलक्टर की शक्तियां और कर्तव्य राजस्व बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन होंगे ।

अध्याय-7
प्रतिदाय और परिहार

61. वाद-पत्र आदि नामंजूर कर दिये जाने की दशा में प्रतिदायः- (1) जहाँ कोई वाद-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 5) के आदेश 7, नियम 11 के अधीन, या अपील का कोई ज्ञापन आदेश 41, नियम 3 या 11 के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है वहां न्यायालय स्वविवेकानुसार, वादी या अपीलार्थी को वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन पर, जो नामंजूर कर दिया गया है, संदत्त फीस का सम्पूर्णतः या अंशतः प्रतिदाय करने का निवेदन दे सकेगा ।

(2) जहां अपील का कोई ज्ञापन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाता है कि वह परिसीमा विधि द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था, वहां आधी फीस का प्रतिदाय किया जायेगा । т

62. प्रतिप्रेषण के मामलों में प्रतिदायः- (1) जहां किसी वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन को जो कि निचले न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो, ग्रहण किये जाने का आदेश दिया जाता है या जहां अपील में कोई वाद निचले न्यायालय द्वारा नये सिरे से विनिश्चित किये जाने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है, वहां, आदेश देने वाला या अपील को प्रतिप्रेषित करने वाला न्यायालय अपीलार्थी को अपील के ज्ञापन पर और, यदि प्रतिप्रेषण दूसरी अपील पर हो तो, प्रथम अपील न्यायालय में अपील के ज्ञापन पर भी, और यदि प्रतिप्रेषण तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय से की जाने वाली किसी अपील पर हो तो दूसरी अपील के ज्ञापन पर और प्रथम अपील न्यायालय में अपील के ज्ञापन पर भी संदत्त फीस की पूरी रकम के प्रतिदाय का निदेश दे सकेगा ।

(2) जहां द्वितीय अपील में या तत्समय प्रवृत किमी भी विधि के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश के निर्णय से की जाने वाली किसी अपील में कोई अपील निचले अपील न्यायालय द्वारा नये सिरे से विनिश्चित किये जाने के लिए प्रतिप्रेषित की जाती है वहां उच्च न्यायालय अपील को प्रतिप्रेषित करते हुए यदि प्रति-प्रेषण द्वितीय अपील पर हो तो द्वितीय अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम का प्रतिदाय, और यदि प्रतिप्रेषण उक्त पश्चात्वर्ती अपील पर हो तो द्वितीय अपील के ज्ञापन पर, तथा तत्समय

प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश के निर्णय से की जाने वाली अपील के ज्ञापन पर सदत्त फीस की पूरी रकम का प्रतिदाय, अपीलकर्ता को किये जाने का निर्देश कर सकेगा :

परन्तु यदि प्रतिप्रेषण उस पक्षकार को त्रुटि के कारण हुआ हो जो अन्यथा किसी प्रतिदाय का हकदार होता तो किसी भी प्रतिदाय का आदेश नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि प्रतिप्रेषण के आदेश मे वाद की सम्पूर्ण विषय वस्तु का समावेश नहीं होता है तो प्रतिदाय उतनी फीस से अधिक का नहीं होगा जो विषयवस्तु के उस भाग पर मूलतः संदेय होती जिसके कि संबंध में वाद प्रतिप्रेषित किया गया है।

63. भूल के आधार पर प्रतिदाय:- (1) जहाँ निर्णय के पुर्नावलोकन के लिए कोई आवेदन, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती आधार पर स्वीकृत किया जाता है, और न्यायालय पुन: सुनवाई करने पर अपने पूर्ववर्ती विनिश्चिय का उक्त आधार पर उल्ट देता है या उपान्तरित कर देता है वहां वह आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस का आवेदक को प्रतिदाय करने का निर्देश देगा जो ऐसे न्यायालय की अनुसूची 2 के अनुच्छेद 11 (छ) और (ज) के अधीन दिये गये अन्य किसी भी आवेदन पर संदेय फीस से अधिक हो।

(2) भूल या असावधानी से संदत्त किसी भी फीस का प्रतिदाय उसे संदत्त करने वाले व्यक्ति को किये जाने के आदेश किये जायेगे ।

64. कतिपय दस्तावेजों को छूट:- अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित दस्तावेजों का किसी भी फीस से प्रभार्य नहीं बनायेगी :-

(i) मुख्तारनामा, वकालतनामा या कोई वाद संस्थित करने या उसमें प्रतिरक्षा करने के लिए कोई अन्य लिखित प्राधिकार जब वह किसी सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा जो सिविल नियोजन में नहीं है, निष्पादित किया जाये;

(ii) सिचाई के लिए सरकारी जल के प्रदाय से सम्बन्धित आवेदन ;

(iii) साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए हाजिर होने के लिए किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति को सम्मन करने के लिए या ऐसे प्रदर्श को, जो ऐसा शपथपत्र नहीं है जो न्यायालय में पेश किये जाने के आसन्न प्रयोजन के लिए तैयार किया गया है, पेश या फाईल करने के बारे में प्रथम आवेदन (जो उस याचिका से भिन्न है जिसमें आपराधिक आरोप या इतिला अन्तर्विष्ट है);

(iv) आपराधिक मामलों में जमानतनामें, अभियोजन के लिए या साक्ष्य देने के लिए मुचलके और स्वीय हाजिरी या अन्य बातों के लिए मुचलके;

(v) किसी भी अपराध के सम्बन्ध में याचिका आवेदन, आरोप या इत्तिला, जब कि वह किसी पुलिस अधिकारी को या उसके समक्ष प्रस्तुत की जाये या दी जाये या पेश की जाये;

(vi) किसी बन्दी या अन्य व्यक्ति कों विवाध्यताधीन हो या किसी न्यायालय या उसके अधिकारी के अवरोधाधीन हो, द्वारा प्रस्तुत याचिकाः

(vii) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में यथा-परिभाषित किसी लोक सेवक को या राजकीय रेलवे के किसी अधिकारी की, उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन के उद्भूत या उससे संसक्त मागतो के सम्बन्ध में शिकायत;

(viii) आवेदक को राज्य सरकार द्वारा शोध्य धन के संदाय के लिए आवेदन जो उस आवेदन से भिन्न है जो कि व्यपगत निक्षेप के प्रतिदाय के लिए उस तारीख से छह माह पश्चात् किया गया है जिसको कि रकम राज्य सरकार को व्यपगत हुई थी।

(ix) किसी भी नगरपालिक कर के विरुद्ध अपील याचिकाः

(x) लोक प्रयोजनों के लिए सम्पति के अर्जन में संबंधित तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन मुआवजे के लिए कोई आवेदन;

(xi) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा या प्रतिपाल्य अधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा अपील याचिका, जबकि वह किसी वरिष्ठ अधिकारी या सरकार को पदच्युति, पदावनति या निलम्बन के आदेशों के विरुद्ध पेश की गई हो, ऐसी अपीलों के साथ फाईल की गयी ऐसे आदेशों की प्रतिलिपियां और ऐसी प्रतिलिपियां अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन ।

65. फीस में कमी या उसका परिहार करने की शक्ति:- राज्य सरकार, राज-पत्र में, अधिसूचना द्वारा इस राज्य के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग में, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य समस्त फीसों को या उनमें से किसी को भी कम या परिहृत कर सकेगी और उसी प्रकार ऐसी अधिसूचना को रद्द या उसमें फेरफार कर सकेगी ।

अध्याय-8
प्रकीर्ण

66. स्टाम्पों के माध्यम से फीसों की वसूली:- (1) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य समस्त फीसें स्टाम्पों के माध्यम से वसूल की जायेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी भी फीस का धोतन करने के लिए उपयोग में लिये गये स्टाम्प छापित या आसंजक अथवा भागत: छापित और भागतः आसंजक होंगे, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निदेश दे।

67. संशोधित दस्तावेज:- जहां कोई दस्तावेज, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई स्टाम्प लगना चाहिए, केवल किसी भूल को सुधारने के लिए और उसे पक्षकारों के मूल आशय के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया जाये वहां नया स्टाम्प लगाना आवश्यक नहीं होगा।

68. स्टाम्प का रद्द किया जाना:- (1) कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन स्टाम्प अपेक्षित है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय में किसी कार्यवाही में तब तक न

तो फाइल की जायेगी और न उस पर कोई कार्रवाई की जायेगी जब तक उस पर का स्टाम्प रद्द नहीं कर दिया जाता ।

(2) ऐसा अधिकारी, जिसे न्यायालय का कार्यालय प्रमुख समय-समय पर नियुक्त करे, ऐसी दस्तावेज प्राप्त होने पर चित्र शोर्य को तुरन्त पंच करके इस प्रकार रद्द करेगा, जिससे स्टाम्प पर अभिहित मूल्य का अंकन ज्यों का ज्यों रह जाये और पंचिग द्वारा हटाया गया भाग जलाकर या अन्यथा नष्ट कर दिया जायेगा ।

69. कटौती की जाना :- जहां नुकसानग्रस्त और खराब हुए, स्टाम्पों के लिए इस अधिनियम के अधीन मोका दिया जाता है या जहां पहले से संदत्त फीस का प्रतिदाय किसी व्यक्ति को किये जाने हेतु न्यायालय के किसी आदेश द्वारा निदेश दिया जाता है वहां कलक्टर संबंधित व्यक्ति के आवेदन पर उसे फीस की रकम का संदाय कर सकेगा या जहां नुकसानग्रस्त या खराब हुए स्टाम्प पेश किये जाते है वहां यह उनके असली होने के प्रति स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात उनके बदले में उनके मूल्य के उसी प्रकार या किसी अन्य प्रकार के स्टाम्पों के रूप में दे सकेगा और यदि आवेदक ऐसा चाहे तो वही रकम या मूल्य धन के रूप में दे सकेगा : परन्तु उन सभी मामलों में जहां नकद के रूप में संदाय किया जाता है, प्रत्येक रूपये या उसके भाग के लिए छह नये पैसे की कटौती की जायेगी। तथापि जहां न्यायालय के ऐसे किसी आदेश के, जिसमें अपील में फेरफार कर दिया गया हो या जिसे उलट दिया गया हो, अनुसरण में संदत्त किसी फीस के संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जाता है वहां ऐसी कोई कटौती नही की जायेगी।

70. शास्तिः- स्टाम्पों के विक्रय के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये कियी नियम का पालन नहीं करता हैं और इस प्रकार से नियुक्त नहीं किया गया कोई व्यक्ति जो किन्हीं स्टाम्पों का विक्रय करता है या उन्हें विक्रय के लिए प्रस्थापित करता है, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्मान से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

71. न्यायालय की नियम बनाने की शक्तिः- (1) उच्च न्यायालय निम्नलिखित सभी मामलों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध करने या उन्हें विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा, अर्थात् :-

(क) उच्च न्यायालय द्वारा, अपनी अपीली अधिकारिता में और उसके अधीनस्थ सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा, जारी की गयी आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए संदेय फीसें;

(ख) आदेशिकाओं की तामील या निष्पादन के लिए खण्ड (क) में उल्लिखित न्यायालयों द्वारा नियोजित व्यक्तियों का पारिश्रमिक;

(ग) जिला और सत्र न्यायाधीशों तथा जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा, उनके अपने-अपने न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों से जारी आदेशिकाओं की तामील

और निष्पादन के लिए नियोजित किये जाने के लिए आवश्यक आदेशिका तामीलकर्ताओं की संख्या का नियत किया जाना;

(घ) आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए संदेय फीस दर्शित करते हुए अंग्रेजी और हिन्दी में एक सारणी का प्रत्येक न्यायालय में प्रदर्शन ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बनाये गये समस्त नियम, राज्य सरकार द्वारा उपान्तरणों के साथ या उनके बिना पुष्टि के अध्यधीन होंगे और उक्त पुष्टि होने पर उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और तब वे इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों वे इस अधिनियम में अधनियमित हुये हों ।

72. राजस्व बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति:- राजस्व बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित समस्त मामलों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध करने या उन्हे विनियमित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा अर्थात् :-

(क) राजस्व बोर्ड और राजस्व न्यायालयों द्वारा जारी की गयी आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य फीस;

(ख) ऐसी आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए नियोजित किये जाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों का पारिश्रमिक:

(ग) ऐसी आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए नियोजित किये जाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का कलक्टरों द्वारा नियत किया जाना;

(घ) अध्याय-6 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में कलक्टरों के लिए मार्गदर्शन।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन के पश्चात् वे इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हुये हों ।

73. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तिः (1) राज्य सरकार निम्नलिखित मामलो के लिए उपबंध करने हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी, अर्थात :-

(क) इस अधिनियम के अधीन प्रयुक्त किये जाने वाले स्टाम्पों का प्रदाय,

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी फीस का घोतन करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले स्टाम्पों की सख्या.

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रयुक्त समस्त स्टाम्पों के लेखाओं का रखा जाना,

(घ) वे परिस्थितियां जिनमें स्टाम्पों का नुकसानग्रस्त या खराब होना माना जाये,

(ङ) वे परिस्थितियां और रीति जिससे और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा उन स्टाम्पों के लिए जो प्रयुक्त, नुकसानग्रस्त या खराब हो चुके है, मोक दिया जा सकेगा,

(च) इस अधिनियम के अधीन प्रयुक्त किये जाने वाले स्टाम्पों के विक्रय का विनियमन, वे व्यक्ति जिनके द्वारा ही ऐसे स्टाम्पों का विक्रय किया जा सकेगा और ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य तथा पारिश्रमिक,

(छ) **साधारणतः** इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्त शीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष जबकि उसका सत्र चालू हो, ऐसी कलावधि के लिए रखे जायेंगे जो चौदह दिन से कम न हो और जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि उस सत्र के जिसमें कि वे इस प्रकार रखे जाये या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान के पूर्व, राज्य विधान मंडल का सदन उक्त नियमों में से किन्हीं में भी कोई उपान्तर करता है या यह संकल्प करता है कि उक्त कोई नियम नही बनाया जाना चाहिए तो उक्त नियम तत्पचात् उक्त रूपेण उपान्तरित रूप में ही. यथास्थिति प्रभावयुक्त प्रभावशून्य होगा किन्तु उसके अधीन पूर्वतः की गई किसी भी बात की विधिमान्यता पर उक्त कोई भी उपान्तरण या वातिलीकरण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

74. निरसन और व्यावृतिः- (1) राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (अडप्टेशन) आर्डिनेन्स, 1950 (1050 का राजस्थान आर्डिनेन्स 9) राजस्थान सूट वैल्यूएशन एक्ट, 1958 (1959 का राजस्थान एक्ट 3) और उपर्युक्त अध्यादेश और अधिनियमों की संशोधी समस्त अधिनियमितियां, एतद्वारा, निरसित की जाती हैं और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपबंध ऐसे निरसन पर लागू होंगे ।

(2) उक्त निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थित सभी वाद और कार्रवाइयों, और अपील पुनरीक्षण के रूप में या अन्यथा उनसे उद्भूत समस्त कार्यवाहियों, चाहे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात संस्थित की गयी हो, ऐसे अध्यादेश और अधिनियम तथा अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगी।

अनसूची-1

मूल्यानुसार फीसें

अनुच्छेद	विशिष्टियां	उचित फीस
1	2	3

1.	किसी न्यायालय को प्रस्तुत वाद-पत्र या मुजराई या प्रतिदावे का अभिवचन करने वाला लिखित कथन या अपील का ज्ञापन- (i) जब रकम या विवादग्रस्त विषय-वस्तु का मूल्य एक सौ रुपये से अधिक न हो तब प्रत्येक पांच रुपये या उसके किसी भाग के लिए । (ii) जब रकम या मूल्य एक सौ रुपये से अधिक है तब एक हजार रुपये तक प्रत्येक दस रुपये या उसके किसी भाग पर। (iii) जब रकम या मूल्य एक हजार रूपये से अधिक है तब एक हजार रुपये से ऊपर के पांच हजार रुपये तक प्रत्येक पचास रुपये या उसके किसी भाग पर। (iv) जब रकम या मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक है तब पांच हजार रुपये से ऊपर के प्रत्येक एक सौ रुपये या उसके भाग पर ।	 पैतीस नये पैसे पचहतर नये पैसे तीन रूपने पांच रूपये
2.	(क) राज्य के लिए यथानुकूलित या विस्तारित प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 26 के अधीन याचिका या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 95 के अधीन आवेदन । (ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाली याचिका या आवेदन पर आदेश के विरुद्ध अपील।	दावाकृत रकम या मुआवजे पर अनुच्छेद 1 में विहित मापमान से फीस की आधी रकम के बराबर रकम। विवादग्रस्त रकम पर अनुच्छेद 1 में विहित मापमान से।
3.	(क) राज्य के लिए यथानुकूलित या विस्तारित प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का केन्द्रीय बधिनियम-5) की धरा 53 या 54 के अधीन याचिका।	अधिकतम पांच सौ रु. की फीस के अध्यधीन रहते हुए, विषय-वस्तु के बाजार मूल्य पर, अनुच्छेद 1 में विहित मापमान से फीस की आधी रकम के बराबर रकम ।

	(ख) खण्ड (क) के अधीन आने वाली किसी याचिका पर आदेश के विरुद्ध शासकीय प्रापक या पक्षकार द्वारा अपील ।	अधिकतम पांच सौ रु. की फीस के अध्यधीन रहते हुए विषय वस्तु के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 1 में विहित मापमान से, फीस की आधी रकम के बराबर रकम ।
4.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 39) के अधोन कार्ययाहियों में आदेश के विरूद्ध अपील का ज्ञापन ।	रकम या विषय वस्तु के मूल्य पर अनुच्छेद 1 में विहित मापमान से फीस की आधी रकम के बराबर रकम।
5.	निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन	पुनर्विलोकन के लिए आवेदन में चाहे गये अनुतोष को समाविष्ट करते हुए वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर संदेय फीस की आधी फीस।
6.	बिल उपाबद्ध करते हुए अथवा उसके बिना किसी बिल में प्रोबेट या प्रशासन पत्र पर जब रकम या उस सम्पदा का, जिसके बारे में प्रोबेट या पत्र मंजूर किया जाता है मुल्य एक हजार रूपये से अधिक है किन्तु पांच हजार से अधिक नही है। जब ऐसी रकम या मूल्य पांच हजार रूपये से अधिक है।	ऐसी रकम या मूल्य पर दो प्रतिशत ऐसी रकम या मूल्य पर तीन प्रतिशत
7.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 39) के अधीन पत्र जहां प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट ऋण या प्रतिभूति की रकम मूल्य अथवा ऋणों और प्रतिभूति की कुल रकम या मूल्य पांच हजार रुपये तक है। जहां ऐसी रकम या मूल्य पांच हजार रूपये से अधिक है।	ऐसी रकम या मूल्य पर दो प्रतिशत ऐसी रकम या मूल्य पर तीन प्रतिशत

टिप्पण :- (1) जहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 39) की धारा 376 के अधीन किमी प्रमाण पत्र का विस्तार किया जाये वहां फीस उस रकम पर, जिसके लिए प्रमाण-पत्र का विस्तार किया जाना चाहा गया है तथा जिस रकम के लिए प्रमाण-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है या किये जा चुके है संगणित की जायेगी और पहले संदत की गई फीस मुजरा दे दी जायेगी।

(2) जिस दिन ऋण की जहां तक उसकी रकम अभिनिश्चित की जा सकती है प्रमाण-पत्र में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया जाये उस दिन तक ब्याज सहित ऋण की रकम ही उसकी होगी ।

(3) किसी प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्टष्ट प्रतिभूति के बारे में अधिनियम के अधीन चाहे कोई शक्ति प्रदत्त की गयी हो या नहीं और जहां ऐसी शक्ति इस प्रकार प्रदत्त की गयी है चाहे वह शक्ति प्रतिभूति पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने के लिए है या प्रतिभूति के पराक्रमण या अन्तरण के लिए है या दोनो हो प्रयोगों के लिए है वहां जिस दिन प्रतिभूति को प्रमाण-पत्र में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया जाये उस दिन उसका बाजार मूल्य, जहां तक ऐसा मूल्य अभिनिश्चित किया जा सकता है, प्रतिभूति का मूल्य होगा ।

(4) जहां स्तंभ 3 में दी गयी फभ्स की दर के अनुसार संगणित न्यायालय फीस की रकम ऐसी रकम बनती है जिसने रूपये का कोई भाग अन्तर्विष्ट है वहां फीस की कुल रकम को अगले पूरे रूपये तक पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

अनूसची 2

नियत फीस

अनुच्छेद	विशिष्टियां	उचित फीस
1	2	3
1	(i) नेटिव संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866 (1866 का केन्द्रीय अधिनियम 21) के अधीन किसी वाद में याचिका ।	दस रुपये
	(ii) जब मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम 8) के अधीन किसी न्यायालय की याचिका, वाद-पत्र या अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाये।	बीस रुपये
	(iii) भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 44 के अधीन याचिकायों को अपवर्जित करते हुए इस अधिनियम के अधीन कोई याचिका और	बीस रूपये

	उस अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रत्येक अपील का ज्ञापन । (iv) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम 3) के अधीन वाद-पत्र या अवील-ज्ञापन या उस अधिनियम की धारा 37 के अधीन किया गया कोई प्रतिदावा । (v) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय प्रधिनियम 43) या हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 23) के अधीन याचिका या अपील का ज्ञापन । **स्पष्टीकरण :-** यदि इन खण्डों में से किसी भी खण्ड के अन्तर्गत आने वाली किसी याचिका या वाद में नुक्सानी के लिए कोई विशिष्ट दावा हो तो दावाकृत नुकसानी की रकम पर अनुसूची-1 के अनुच्छेद 1 में विनिदिष्ट दरों पर पृथक फीस प्रभारित होगी।	बीस रूपये बीस रूपये
2	भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 49 के अधीन परिवचन ।	एक रूपया
3	सिविल प्रकिया सहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 47 या धारा 144 के अधीन किसी प्रश्न के अवधारण के अदेश को सम्मिलित करते हुए, किसी आदेश के विरुद्ध अपील का ज्ञापन जिसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, जबकि यह निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाये- (i) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय को या राजस्व बोर्ड अथवा मुख्य कार्य- पालक प्राधिकारी से मिग्न किसी कार्य- पालक अधिकारी को, (ii) राजस्व बोर्ड या मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी को; (iii) निम्नलिखित किसी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को-	एक रूपया दो रूपये

	(1) जहां आदेश किसी अधीनस्थ न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है- (क) यदि अदेश किसी ऐसे वाद या कार्यवाही से संबंधित है जिसका मूल्य एक हजार रुपये से अधिक है; (ख) अन्य किसी मामले में। (2) जहां अपील, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध है- (क) अपीलों अधिकारिता के प्रयोग में पारित किसी आदेश के विरुद्ध (ख) किसी अन्य मामले में । (3) जहां अपील बैंककारी कम्पनी अधिनियम 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 45-ख- के अधीन है। (4) जहां अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 411-क के अधीन है। (iv) अपील करने के किसी कानूनी अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार को, जिसके लिए किसी अन्य अधिनियमति के अधीन कोई न्यायालय फीस उद्ग्रहणीय नहीं है।	दस रुपये पांच रुपये दस रुपये एक सो सपये एक सो सपये पांच रूपये पांच रूपये
4	माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धरा 39 के अधीन अपील ज्ञापन- (i) जहां अधिकारिता के लिए मूल्य 5,000 रु. से अधिक नहीं है; (ii) अन्य किसी मामले में।	पन्द्रह रुपये एक सौ रुपये
5	5. ऐसे निर्णय या आदेश को प्रतिलिपि या अनुवाद जो न तो डिक्री है, न डिक्री का बल रखता है- जब ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय द्वारा या राजस्व न्यायालय	

	या कार्यालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य न्यायालय या न्यायिक या कार्यपालक प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाये- (क) यदि रकम या विषय वस्तु का मूल्य पचास रुपये है या पचास रुपये से कम है। (ख) यदि ऐसी रकम या मूल्य पचास रुपये से अधिक है; जब ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जाये।	 एक रुपया एक रूपया दो रूपये
6	किसी दण्ड न्यायालय के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि या अनुवाद ।	एक रूपया
7	डिक्री या डिक्री का बल रखने वाले किसी आदेश की प्रतिलिपि- जब ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा दिया जाये- (क) यदि वाद, जिसमें ऐसी डिक्री या आदेश दिया जाये, की रकम या विषय-वस्तु का मूल्य पचास रुपये है या पचास रुपये से कम है; (ख) यदि ऐसी रकम या मूल्य पचास रुपये से अधिक है। जब ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।	 एक रुपया दो रूपये पांच रूपये
8	राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम 7) के अधीन स्टाम्प शुल्क के दायित्वाधीन किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि, जबकि किसी वाद या कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा वापस लिये हुए मूल दस्तावेज के स्थान पर उसे रखा गया हे- (क) जबकि मूल पर प्रभार्य शुल्क एक रुपया से अधिक नहीं है; (ख) अन्य किसी मामले में।	 मूल पर प्रभार्य शुल्क की रकम एक रूपया

9	किसी राजस्व या न्यायिक कार्यवाही या आदेश की प्रतिलिपि, जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, या किसी न्यायालय या किसी लोक अधिकारी के कार्यालय से लिये गये किसी लेखे, विवरण रिपोर्ट या ऐसी ही अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रत्येक दस्तावेज के लिए ।	एक रूपया
10	(क) मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम 4) के अध्याय-4 के अधीन प्रस्तुत आवेदन या याचिका- (i) जब कि वह प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को या उसके अध्यक्ष या सचिव को प्रस्तुत की जायेः (ii) जबकि वह राज्य परिवहन प्राधिकरण को या उसके अध्यक्ष या सचिव को प्रस्तुत की जाये। (ख) तत्समय प्रवृत किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यपालक अधिकारी को किसी स्थान की सफाई या सुधार के लिए प्रस्तुत आवेदन या याचिका यदि आवेदन या याचिका मात्र ऐसी सफाई या सुधार से संबंधित है। (ग) किसी बोर्ड या कार्यपालक अधिकारी को ऐसे बोर्ड या अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अथवा ऐसे कार्यालय के अभिलेख में की किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि या अनुवाद के लिए प्रस्तुत आवेदन या याचिका। (घ) वन के किसी ठेकेदार द्वारा पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए वन अधिकारी को आवेदन- (i) यदि पट्टे की विषय-वस्तुत का मूल्य 5,000 रू. या इससे कम है। (ii) यदि ऐसा मूल्य 5,000 रु. से अधिक है तो 5,000 रू. से अधिक के प्रत्येक 1,000 रु. या उसके भाग के लिएए ।	दस रूपये पन्द्रह रूपये एक रूपया एक रुपया दस रूपये पांच रूपये

	(ङ) भारत से बाहर उपयोग किये जाने के लिए आशयित निजी दस्तावेजों के अनु प्रमाणन के लिए आवेदन ।	पांच रूपये
	(च) व्यपगत निक्षपों के लिए आवेदन जो रकम के सरकार को व्यपगत होने की तारीख से छह मास पश्चात प्रस्तुत किया जाये	
	(i) जब कि रकम या निक्षेप 50 रु. से अधिक नहीं है;	एक रूपया
	(ii) जबकि रकम या निक्षेप 50 रू; से अधिक है किन्तु 1,000 रु. से अधिक नहीं है।	एक रूपया
	(iii) जबकि वह 1.000 रू. से अधिक है।	दो रूपेय
	(छ) राज्य सरकार को प्रस्तुत आवेदन या याचिका जिसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है-	
	(i) जिसमें विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना या न करना अन्तर्वलित है।	दो रूपये
	(ii) अन्य मामलों में।	एक रूपया
	(ज) राजस्व बोर्ड या मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन या याचिका जिसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है-	
	(i) जिसमें विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना या न करना अन्तर्वलित है	दो रूपये
	(ii) अन्य मामलों में।	दो रूपये
	(झ) खण्ड (छ) या राण्ड (ज) के अन्तर्गत नहीं आने वाले तथा किसी लोक अधिकारी को या किसी लोक कार्यालय में प्रस्तुत किये गये आवेदन या याचिका, जिसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है-	एक रूपया

	(i) जिसमें विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले नियम द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करना या न करना अन्तर्वलित है। (ii) अन्य मामलों में ।	एक रूपया
11	(क) किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या कार्यवाही की या उस न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश की अथवा उसके अभिलेख में की किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि या अनुवाद के लिए उस न्यायालय को प्रस्तुत आवेदन या याचिका।	एक रूपया
	(ख) किसी वाद या मामले के संबंध में, जिसमें रकम या विषय-वस्तु का मूल्य 50 रू; से कम है, मूल अधिकारिता रखने वाले मुख्य सिविल न्यायाल से भिन्न किसी सिविल को या राजस्थान लधुवाद न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का राजस्थान अध्यादेश 8) के अधीन गठित किसी लघुवाद न्यायालय को प्रस्तुत कोई आवेदन या याचिका।	एक रूपया
	(ग) किसी न्यायालय को इस आशय का आवेदन कि अन्य न्यायालय से अभिलेख मंगाया जाये, जब न्यायालय आवेदन को मंजूर कर ले और उसका यह मत हो कि ऐसे अभिलेख के पारेषण में डाक का उपयोग अन्तवर्लित है।	आवेदन पर उद्ग्रहणीय फीस के अलावा एक रूपया
	(घ) भू-स्वामी द्वारा अपने अभिधारी को संदत्त की जाने वाली मुआवजे की रकम अवधा ारित करने हेतु किसी न्यायालय को प्रस्तुत आवेदन या याचिका।	एक रूपया
	(ड) किसी ऐसे अपराध जिसमें कोई पुलिस अधिकारी दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है, से भिन्न किसी अपराध की लिखित शिकायत या आरोप जो किसी दण्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और ऐसी किसी अपराध की कोई मौखिक शिकायत जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898	एक रूपया

	(1898 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन लेखबद्ध करली गयी है।	
	(च) किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट को उसकी कार्यपालिक हैसियत में प्रस्तुत आवेदन या याचिका जिसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।	एक रूपया
	(छ) निर्णय से पूर्व गिरफ्तार या कुर्की करने के लिए लिए अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पत्र-	
	(i) जब किसी वाद या कार्यवाही के संबंध में उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को प्रस्तुत किया जाये,	एक रुपया
	(ii) जब उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाये।	पांच रूपये
	(ज) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 47 और आदेश 21, नियम 58 और 90 के अधीन आवेदन या याचिका-	
	(i) जब उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में फाइल की जाये;	एक रुपया
	(ii) जब उच्च न्यायालय में फाइल की जाये।	पांच रुपये
	(झ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 34, 72, 73 और 74 के अधीन आवेदन या याचिका ।	पांच रुपये
	(ञ) (i) संपूर्ण भार में प्रभावी प्रोवेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन-पत्र।	पच्चीस रुपये
	(ii) उप खण्ड (i) के अधीन न आने वाले प्रोबेट या प्रशासन-पत्र लिए आवेदन-पत्र	
	(1) यदि सम्पदा का मूल्य 1,000 रु. से अधिक न हो;	एक रुपया
	(2) यदि मूल्य 1,000 रु. से अधिक हो;	पांच रुपयेः परन्तु यदि कोई केवियट ग्रहण कर लिया जाये और आवेदन

		की वाद के रूप में रजिस्टर कर लिया जाये तो सम्पदा के बाजार मूल्य पर अनुसूची के अनुच्छेद 1 में विहित फीस के मापदंड के अनुसार फीस के आधे में से वह फीस जो आवेदन पर पहले ही संदत कर दी गई हो, कम करके फीस उद्गृहीत की जायेगी ।
	(ट) मूल याचिकायें यदि उनके लिए अन्यथा उपबंध न हो, जब-	
	(i) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में फाइल की जायें;	दो रुपये
	(ii) उच्च न्यायालय में फाइल की जायें ।	दस रूपये
	(ठ) माध्यस्थम अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन किसी पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन-	
	(1) यदि पंचाट की विषय-वस्तु का मुल्य 5,000 रू. से अधिक नहीं	पच्चीस रुपये
	(2) यदि ऐसा मूल्य 5,000 रु. से अधिक है परन्तु 10,000 रु. से अधिक नहीं है;	एक सो रुपये
	(3) यदि ऐसा मूल्य 10,000 रु. से अधिक है।	दो सौ पचास रुपये
	(ड) पंचाट फाइल करने हेतु किसी निदेश के लिए या करार फाइल करने हेतु किसी आदेश के लिए माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धरा 14 या धारा 20 के अधीन आवेदन और विदेशी पंचाटों को प्रवृत्त करने के लिए आवेदन	
	(1) यदि पंचाट की विषय-वस्तु का मूल्य 5,000 रु. से अधिक नहीं है;	पन्द्रह रुपये एक सौ रुपये

	(2) यदि ऐसा मूल्य 5,000 रु. से अधिक है परन्तु 10,000 रु से अधिक नहीं है; (3) यदि मूल्य 10,000 रु. से अधिक है।	दो सो पचास रुपने बीस रुपये
	(ढ) अधिवक्ता या वकील के रूप में प्रवेश हेतु उच्च न्यायालय को याचिका।	पचास रुपये
	(ण) प्रेस (आबजेक्शनेबल मेटर) एक्ट, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 56) की धारा 24 के अधीन उच्च न्यायालय को प्रस्तुत आवेदन ।	
	(त) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 115 के अधीन, राज. लघुवाद न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का राजस्थान अध्यादेश 8) की धारा 23 के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालय को प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका जो किसी वाद या कार्यवाही से उद्भूत हो- (i) यदि वाद या कार्यवाही का, जिससे संबंधित आदेश का पुनरीक्षण चाहा जाता है, मूल्य 1000 रु. से अधिक नहीं है। (ii) यदि ऐसा मूल्य 1000 रु. से अधिक है।	पांच रूपये दस रुपये एक सौ रुपये
	(थ) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 391, 439 औरर 522 के अधीन किसी कम्पनी के परिसमापन के संबंध में याचिका ।	पच्चीस रूपये
	(द) उच्च न्यायालय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधोन याचिका या संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका ।	
	(ध) उच्च न्यायालय को प्रस्तुत आवेदन या याचिका जिनके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।	दो रुपये

	(न) निम्नलिखित पदों के संबंध में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली निर्वाचन याचिका-	
	(i) किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य	पचास रूपये
	(ii) नगरपालिक बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या किसी न्याय पंचायत का अध्यक्ष:	एक सौ रुपये
	(iii) किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या नगरपरिषद् का सभापति या उप-सभापति।	दो सो पचास रुपये
	12. अकिचन के रुप में वाद चलाने की इजाजत के लिए आवेदन ।	एक रुपया
	13. अकिचन के रूप में अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन ।	एक रूपया
	(i) जब उच्च न्यायालय के अधीनस्य किसी न्यायालय को प्रस्तुत किया जाये:	एक रुपया
	(ii) जब उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाये;	दो रुपये
	14. दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम-5) या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम-5) की किसी भी धारा के अधीन किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में दिया गया। जमानतनामा या बाध्यता की अन्य लिखत जिसके लिए अधिनियम में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है	एक रूपया एक रूपया
	15. मुख्तारनामे की प्रत्येक प्रति जब वह किसी वाद या कार्यवाही में फाईत की जाये।	एक रुपया
	16. जब किसी एक मामले की पैरवी के लिए निम्नलिखित को मुख्तारनामा या वकालत नामा प्रस्तुत किया जाये।	एक रुपया

	(क) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल या दण्ड न्यायालय को या किसी राजस्व न्यायालय को या किसी कलक्टर या मजिस्ट्रेट को या इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) और (ग) में यथा उल्लिखित को छोड़कर किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी को।	एक रुपया
	(ख) राजस्व, सर्किट या कस्टम आयुक्त को या किसी डिवीजन के कार्यपालक प्रशासन के प्रभारी अधिकारी को जो मुख्य राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी न हो।	एक रूपया
	(ग) किसी उच्च न्यायालय, मुख्य आयुक्त, राजस्व बोर्ड या अन्य मुख्य नियंत्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी को ।	दो रुपया
	17. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम. 5) के अधीन न्यायालय की राय के लिए किसी प्रश्न का कथन करते हुए लिखित करार -	
	(i) उस गामले में जहाँ विषय-वस्तु का मूल्य 5,000 रु. से अधिक नहीं है।	पन्द्रह रुपये
	(ii) किमी अन्य मामले में।	एक सौ रुपये दस रुपये
	केवियट	

अनुसूची-3

भाग-।

(धारा 50 देखिये)

सम्पदा के मूल्यांकन का प्ररूप (ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हों, जो आवश्यक हों, उपयोग में लिये जने हेतु)

विषय: के न्यायालय में.....मृत व्यक्ति की बिल का, प्रोबेट (या.....की सम्पदा के प्रशासन) के मामले में।

1 में, (क, ख) सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं/शपथ लेता हूं और कहता हूं कि मैं मृतक..... का निष्पादकों हूँ निष्पादों में से एक हूं या उनके निकटतम कुल्यों में से एक हूं और यह कि मैने मूल्यांकन के इस प्ररूप के उपबंध "क" में उस संपूर्ण सम्पदा को सही-सही बतला दिया है जो ऊपर नामित मृत व्यक्ति की मत्यु के समय उसके कब्जे में थी या जिसका चह मृत्यु के समय हकदार था, और जो मेरे हस्तगत हो गयी है या जिसका मेरे हस्तगत होना सम्भाव्य है।

2. यह कि मैंने उपबन्ध "ख" में वे सब मदें सही तौर पर उपवर्णित कर दी है जिनकी कटौती के लिए में विधि द्वारा अनुज्ञात हूं।

3. मैं यह घोषणा करता हूँ कि उसके उक्त संपदा, केवल अन्त में उल्लिखित मदों को छोड़कर, उक्त मृत व्यक्ति की मृत्यु की ताीख को ..... को मूल्य से कम की थी/है।

4. में, (क,ख) यह और घोषित करता हूं कि मूल्यांकन के इस प्रारूप में जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(हस्ताक्षरित)- क, ख

इस प्ररूप का उपयोग तब किया जाये जब कि मृत्यु की तारीख से एक वर्ष पश्चात् आवेदन किया जाये।

उपाबंध "क"

मृत व्यक्ति की जंगम और स्थावर सम्पत्ति का मूल्यांकन। हाथ-नकदी और बैंक-नकदी घरेलु वस्तुएं, पहनने के कपडे, किताबे प्लेट रत्न आदि ।

(निष्पादक या प्रशासक के सर्वोत्तम विश्वासानुसार प्राक्कलित मूल्य बताइये)।

लोक ऋण कार्यालय में अन्तरणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सम्पत्ति (मृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख को या आवेदन की तारीख को, यथास्थिति, विवरण और मूल्य दीजिये ।

स्थावर सम्पत्ति अर्थात्..... (यथास्थिति, मृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख को या आवेदन की तारीख को ब्यौरे और बाजार मूल्य के विवरण दोजिए)।

पट्टाधृत सम्पत्ति..... (यथास्थिति, यदि मृत व्यक्ति को कुछ वर्षो के उपरांत पर्यवसेय कोई पट्टा धारण करता था तो पट्टे की कालावधि और भाटक को प्राक्कलित रकम मृत्यु की या आवेदन की तारीख को देय बकायाये पृथक दिखाते हुए बताइये)।

पब्लिक कम्पनियों में सम्पत्ति (यथास्थिति मुत्यु की तारीख को या आवेदन की तारीख की विशिष्टियां और कीमत के आधार पर संगणित मूल्य बताइये) ।

जीवन बीमा, पालिसियो, बंधकों और अन्य प्रतिभूतियों में लगा धन जैसे धन के बंध-पत्र, विनिमय पत्र, वचन-पत्र और अन्य प्रतिभूतियां ।

(यथास्थिति मृत्यु की तारीख की या आवेदन की तारीख को, सबको मिला कर रकम बताइये)

ऋण
(डूबत ऋण से भिन्न)
व्यापार स्टॉक
(प्राक्कलित मूल्य यदि कोई हो. बताइये)
पूर्वगामी शीर्षकों में, असमाविष्ट अन्य संपत्ति (प्रावकलित मूत्य, यदि कोई हो बताइये)

.....

योग :-

.....

धारा 51 की उपधारा (2) में उपबंधित रीति से उपाबंध "ख" में दर्शित मदें घटाइये।

सम्पदा की शुद्ध मूल्य

उपाबंध "ख"

ऋणों आदि की अनुसूची

मृत व्यक्ति से शोध्य और उसके द्वारा देय ऋणों की रकम जो सम्पदा में रु. न.पै. से वैध रूप से संदेय है।
अन्त्योष्टि क्रिया और उत्तर संस्कार के संबंध में खर्चे की रकम ।
बंधक विल्लगंमों की रकम ।
कोई सम्पत्ति जो ऐसे न्यास के रूप में धारित हो कि जो फायदाप्रद न हो या जिसके साथ हितकारी हित प्रदाय किये जाने की सामान्य शक्ति न हो।
अन्य सम्पत्ति जो शुल्क के अध्यधीन नहीं है।

भाग-2

सम्पदा के मूल्यांकन का संशोधित प्ररुय

(धारा 56 घौर 58 देखियें)

..... के न्यायालय में

विषय : .....मृत व्यक्ति की बिल का प्रोबेट (या .....की संपदा के प्रशासन) के मामले में।

1. मैं (क, ख).....का निष्पादक (या निष्पादकों में से एक या निकटतम कुल्यों, यथास्थिति, में से एक) हूँ।

2. प्रोवेट (या प्रशासन पत्र) मुझे .....को मंजूर किया गया/किये गये ।

3. यह अब पता चला है कि सम्पदा का शुद्ध मूल्य जिस पर न्यायालय फीस संदत्त की गई थी, ठीक अभिनिश्यित नहीं दिया गया था।

4. मैंने अब मूल्यांकन के इस संशोधित प्ररूप के उपाबंध "क" में मृत व्यक्ति की मृत्यु की, या प्रोबेट (या प्रशासन पत्रो) के लिए आवेदन की तारीख को उसकी संपूर्ण सम्पदा को, जो मेरे पास आ गयी है या जिसके मेरे पास आने की संभावना है, सही-सही बतला दिया है।

5. मैंने अब उपाबंध "ख" में वे समस्त मदें भी जिनकी कटौती के लिए में विधि द्वारा अनुज्ञात हूं, सही-सही बतला दी है।

6. मै यह ओर घोषणा करता हूं कि उक्त संपदा केवल अन्त में उल्लिसित मदों को घोड़कर, इस आवेदन की तारीख को.....मूल्य से कम थी/ है।

7. मैं (क, ख) यह और घोषणा करता हूं कि मूल्यांकन के इस संशोधित प्ररूप में जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(हस्ताक्षर) क,ख

उपाबंध "क"

मृत व्यक्ति को सम्पदा का संशोधित मूल्यांकन

मूल्यांकन जिस पर न्यायालय फीस संदत्तक की गई	वृद्धि	कमी	संशोधित मूल्यांकन
योग			

उपाबंध "ख" में वर्णित मदें धारा 51 की उपधारा (2) में उपबंधित रीति से घटाईये सम्पदा का संशोधित शुद्ध मूल्य.....

उपाबंध "ख"

ऋण आदि की संशोधित अनुसूची

मूल्यांकन जिस पर न्यायालय फीस संदत्त की गई	वृद्धि	कमी	संशोधित मूल्यांकन
योग			

जे.पी. बंसल
विधि सचिव